जहाँ सेलेक्शन एक जिद है

INDIAN POLITY
EXPLORER

भारतीय राज-व्यवस्था

For *All One Day Exams*

The Institute

गुणवत्ता, ईमानदारी और सफलता

By : **Ashok Pandey**

THE INSTITUTE
जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इला0
0532-3266722, 9956971111, 9235581475

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

THE INSTITUTE

टीम को

यह Notes प्रस्तुत करते हुए बड़ी खुशी की अनुभूति हो रही है। यह Notes सभी One Day Exam के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज बदलते हुए One Day पैटर्न को देखते हुए यह Notes, One Day Exam के अभ्यर्थियों के लिए मददगार साबित होगा। इसमें अनावश्यक भ्रमपूर्ण सामाग्रियों से परहेज किया गया है और हर एक शब्द को आपके लिए उपयोगी बनाने की कोशिश की गयी है।

इसमें मैप, चार्ट और ग्राफ के जरिए विषय को अति सरल बनाया गया है। यह Notes क्लास लेक्चर को Supplement करने के लिए बनाया गया है। यह संपादन कार्य क्लास लेक्चर के साथ मिलकर संपूर्ण होता है और यह क्लास लेक्चर को सुदृण करने के लिए बनाया गया है। बिना क्लास लेक्चर के यह Notes अधूरा है।

इसमें बाजारू सामाग्रियों के सभी त्रुटियों को दूर किया गया है और अन्य प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की पूरी कोशिश की गयी है यदि इसके बाद भी कोई मानवीय या मशीनी गलती हुई हो तो संस्था क्षमाप्रार्थी है।

इसके अतिरिक्त यह Notes आप सभी के सहयोग से बना है और इसमें किसी भी प्रकार का सुझाव सदैव स्वीकार्य है। संस्था अपने छात्रों से यह उम्मीद करता है कि छात्र इस Notes का पूरा उपयोग करेगा और संस्था के उम्मीदों पर खरा उतरेगा क्योंकि आप वहाँ पढ़ते हैं 'जहाँ सेलेक्शन एक जिद है'।

धन्यवाद

C. Shekhar

(THE INSTITUTE)

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

राज व्यवस्था

By Ashok Pandey

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान भारत का प्रमुख विधिक दस्तावेज है जो सरकार की रूपरेखा एवं सरकार संचालन के प्रावधानों को उल्लेखित करता है इसमें कुल 22 भाग हैं जो कि अलग–अलग विषयों का उल्लेख करते हैं। इन भागों को अनुच्छेदों में बाँटा गया है जिसकी निरंतरता शुरू से अंत तक बरकरार है। इसके अतिरिक्त संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं जोकि परिवर्तनशील विषयों को उल्लेखित करती हैं।

भाग 1 (Part I)

संघ और उसका राज्यक्षेत्र (Union and the territory)

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद 2 क : निरसित (Deleted)
अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद 4 : पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

भाग 2 (Part II)

नागरिकता (Citizenship)

अनुच्छेद 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता
अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 7 : पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 8 : भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना।
अनुच्छेद 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद 11 : संसद् द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग 3 (Part III)

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

साधारण (General)

अनुच्छेद 12 : परिभाषा
अनुच्छेद 13 : मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

1. समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14 : विधि के समक्ष समता
अनुच्छेद 15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद 16 : लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
अनुच्छेद 17 : अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद 18 : उपधियों का अंत

2. स्वातंत्र्य–अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 : वाक्–स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद 21 : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद 22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 : मानव के दुर्व्यापार और वलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 24 : कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25 : अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 27 : किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद 28 : कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

अनुच्छेद 29 : अल्पसंख्यक–वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद 31 : *(निरसित)*

कुछ विधियों की व्यावृत्ति (Saving of certain Laws)

अनुच्छेद 31–क : संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों का व्यावृत्ति।
अनुच्छेद 31–ख : कुछ अधिनियमों औरविनियमों का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 31–ग : कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
अनुच्छेद 31–घ : (निरसित)

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

6. **सांविधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)**

अनुच्छेद 32 : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।

अनुच्छेद 32–क : (निरसित)

अनुच्छेद 33 : इस भाग द्वारा प्रदत्ता अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद् की शक्ति।

अनुच्छेद 34 : जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 35 : इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

भाग 4 (Part IV)

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

अनुच्छेद 36 : परिभाषा

अनुच्छेद 37 : इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

अनुच्छेद 38 : राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

अनुच्छेद 39 : राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

अनुच्छेद 39–क : समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

अनुच्छेद 42 : काम की न्यायसंगत और नानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

अनुच्छेद 43–क : उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

अनुच्छेद 44 : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

अनुच्छेद 45 : बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

अनुच्छेद 47 : पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

अनुच्छेद 48 : कृषि और पशु पालन का संगठन

अनुच्छेद 48–क : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

अनुच्छेद 49 : राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

अनुच्छेद 51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग 4–क (Part IV-A)

मूल कर्तव्य (Fundamental Duties)

अनुच्छेद 51–क : मूल कर्तव्य

भाग 5 (Part V)

संघ (The Union)

अध्याय 1– कार्यपालिका (The Executive)

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (The President and Vice-President)

अनुच्छेद 52 : भारत का राष्ट्रपति

अनुच्छेद 53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति

अनुच्छेद 54 : राष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

अनुच्छेद 56 : राष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 57 : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

अनुच्छेद 58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

अनुच्छेद 59 : राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें

अनुच्छेद 60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद 63 : भारत का उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 64 : उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

अनुच्छेद 65 : राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 66 : उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

अनुच्छेद 67 : उपराष्ट्रपति की पदावधि

अनुच्छेद 68 : उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

अनुच्छेद 69 : उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 70 : अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

अनुच्छेद 72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि–परिषद (Council of Ministers)

अनुच्छेद 74 : राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि–परिषद्

अनुच्छेद 75 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

भारत का महान्यायवादी (The Attorney General of India)

अनुच्छेद 76 : भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)

अनुच्छेद 77 : भारत सरकार के कार्य का संचालन

अनुच्छेद 78 : राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 2– संसद (Parliament)

साधारण (General)

अनुच्छेद 79 : संसद का गठन

अनुच्छेद 80 : राज्य सभा की संरचना

अनुच्छेद 81 : लोक सभा की संरचना

अनुच्छेद 82 : प्रत्येक जनगणना के प्रश्चात् पुनःसमायोजन

अनुच्छेद 83 : संसद के सदनों की अवधि

अनुच्छेद 84 : संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

अनुच्छेद 85 : संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

अनुच्छेद 86 : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

अनुच्छेद 87 : राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

अनुच्छेद 88 : सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

संसद के अधिकारी (Officers of Parliament)

अनुच्छेद 89 : राज्य सभा का सभापति और उपसभापति

अनुच्छेद 90 : उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 91 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति, के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद 92 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद 93 : लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 94 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

अनुच्छेद 95 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

अनुच्छेद 96 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

अनुच्छेद 97 : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

अनुच्छेद 98 : संसद का सचिवालय

कार्य संचालन (Conduct of Business)

अनुच्छेद 99 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

अनुच्छेद 100 : सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification of Members)

अनुच्छेद 101 : स्थानों का रिक्त होना

अनुच्छेद 102 : सदस्यों के लिए निरर्हताएं

अनुच्छेद 103 : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

अनुच्छेद 104 : अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (Powers' Priviledges and Immunities of Parliament and its Members)

अनुच्छेद 105 : संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि

अनुच्छेद 106 : सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)

अनुच्छेद 108 : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

अनुच्छेद 109 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद 110 : ''धन विधेयक'' की परिभाषा

अनुच्छेद 111 : विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in financial Matters)

अनुच्छेद 112 : वार्षिक वित्तीय विवरण

अनुच्छेद 113 : संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

अनुच्छेद 114 : विनियोग विधेयक

अनुच्छेद 115 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

अनुच्छेद 116 : लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादनुदान

अनुच्छेद 117 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generality)

अनुच्छेद 118 : प्रक्रिया के नियम

अनुच्छेद 119 : संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

अनुच्छेद 120 : संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 121 : संसद में चर्चा पर निर्बन्धन

अनुच्छेद 122 : न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 3—राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां (Legislative Powers of the President)

अनुच्छेद 123 : संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4—संघ की न्यायपालिका (The Union Judiciary)

अनुच्छेद 124 : उद्यतम न्यायालय की स्थापना और गठन

अनुच्छेद 125 : न्यायाधीशों के वेतन आदि

अनुच्छेद 126 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

अनुच्छेद 127 : तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति

अनुच्छेद 128 : उद्यतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति

अनुच्छेद 129 : उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

अनुच्छेद 130 : उच्चतम न्यायालय का स्थान

अनुच्छेद 131 : उद्यतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

अनुच्छेद 131—क : (निरसित)

अनुच्छेद 132 : कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उद्यतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

अनुच्छेद 133 : उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उद्यतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

अनुच्छेद 134—क : उद्यतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र

अनुच्छेद 135 : विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना

अनुच्छेद 136 : अपील के लिए उद्यतम न्यायालय की विशेष इजाजत

अनुच्छेद 137 : निष्प्रयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन

अनुच्छेद 138 : उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि

अनुच्छेद 139 : कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना

अनुच्छेद 139—क : कुछ मामलों का अंतरण

अनुच्छेद 140 : उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ

अनुच्छेद 141 : उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना

अनुच्छेद 142 : उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश

अनुच्छेद 143 : उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 144 : सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

अनुच्छेद 144—क : (निरसित)

अनुच्छेद 145 : न्यायालय के नियम आदि

अनुच्छेद 146 : उद्यतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

अनुच्छेद 147 : निर्वचन

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

अध्याय 5– भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India)
अनुच्छेद 148 : भारत का नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
अनुच्छेद 149 : नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
अनुच्छेद 150 : संघ के राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद 151 : संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6 (Part VI)

राज्य (The States)
अध्याय 1– साधारण (General)
अनुच्छेद 152 : परिभाषा
अध्याय 2– कार्यपालिका (The Executive)
राज्यपाल (The Governor)
अनुच्छेद 153 : राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 154 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 155 : राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 156 : राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद 157 : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद 158 : राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद 159 : राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 160 : कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद 161 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद 162 : राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
मंत्रि–परिषद (Council of Ministers)
अनुच्छेद 163 : राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद
अनुच्छेद 164 : मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General for the State)
अनुच्छेद 165 : राज्य का महाधिवक्ता
सरकारी कार्य का संचालन (Conduct of Government Business)
अनुच्छेद 166 : राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद 167 : राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
अध्याय 3–राज्य का विधान–मंडल (The State Legislature)
साधारण (General)
अनुच्छेद 168 : राज्यों के विधान–मंडलों का गठन
अनुच्छेद 169 : राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
अनुच्छेद 170 : विधान सभाओं की संरचना
अनुच्छेद 171 : विधान परिषदों की संरचना
अनुच्छेद 172 : राज्यों के विधान मंडलों की अवधि
अनुच्छेद 173 : राज्य के विधान–मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 174 : राज्य के विधान–मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद 175 : सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 177 : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार
राज्य के विधान–मंडल के अधिकारी (Officers of the State Legislature)
अनुच्छेद 178 : विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद 179 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 180 : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति
अनुच्छेद 181 : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 182 : विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 183 : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद 184 : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति
अनुच्छेद 185 : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद 186 : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद 187 : राज्य के विधान–मंडलों का सचिवालय
कार्य संचालन (Conduct of Business)
अनुच्छेद 188 : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 189 : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति
सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualificationj of Members)
अनुच्छेद 190 : स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद 191 : सदस्यता के लिए निरर्हताएं
अनुच्छेद 192 : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद 193 : अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
राज्यों के विधान–मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां (Powers, Priviledges and Immunities of State Legislatures and their Members)
अनुच्छेद 194 : विधान–मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद 195 : सदस्यों के वेतन और भत्ते
विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure)
अनुच्छेद 196 : विधेयकों के मुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद 197 : धन विधेयकों से मित्र विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद 198 : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद 199 : 'धन विधेयक' की परिभाषा
अनुच्छेद 200 : विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद 201 : विचार के लिए आरक्षित विधेयक
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure in Financial Matters)
अनुच्छेद 202 : वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद 203 : विधान–मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

अनुच्छेद 204 : विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205 : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद 206 : लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद 207 : वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया (Procedure Generally)

अनुच्छेद 208 : प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 209 : राज्य के विधान–मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद 210 : विधान–मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद 211 : विधान–मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद 212 : न्यायालयों द्वारा विधान–मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

अध्याय 4– राज्यपाल की विधायी शक्ति (Legislative Powers of the Governor)

अनुच्छेद 213 : विधान–मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

अध्याय 5– राज्यों के उच्च न्यायालय (The High Courts of the States)

अनुच्छेद 214 : राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 215 : उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद 217 : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद 218 : उच्चतम न्यायालय से संधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद 219 : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद 220 : स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि–व्यवसाय पर निर्बधन
अनुच्छेद 221 : न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद 222 : किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 223 : कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद 224 : अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 224–क : उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा–निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 225 : कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226 : कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 226–क : (निरसित)
अनुच्छेद 227 : सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद 228 : कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद 228–क : (निरसित)
अनुच्छेद 229 : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद 230 : उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद 231 : दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अध्याय 6– अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Courts)

अनुच्छेद 233 : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद 233–क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा दिए गए निश्चयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद 234 : न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद 235 : अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद 236 : निर्वचन
अनुच्छेद 237 : कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबन्धों का लागू होना

भाग 7 (Part VII)

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (The states in Part B or the First Schedule)

अनुच्छेद 238 : (निरसित)

भाग 8– (Part VIII)

संघ राज्य क्षेत्र (The Union Territories)

अनुच्छेद 239 : संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन
अनुच्छेद 239–क : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान–मंडलों या मंत्रि–परिषदों का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद 239–ख : विधान–मंडलों के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद 240 : कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 241 : संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 242 : (निरसित)

भाग 9 (Part IX)

पंचायतें

243– परिभाषायें
243 क– ग्राम सभा
243 ख– पंचायतों की गठन
243 ग– पंचायतों की संरचना
243 घ– स्थानों का आरक्षण
243 ङ– पंचायतों आदि की अवधि
243 च– सदस्यता के लिए अनर्हता
243 छ– पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व
243 ज– पंचायतों द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
243 झ– वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्तीय आयोग की स्थापना
243 ञ– पंचायतों का लेखा परीक्षण
243 ट– पंचायतों के निर्वाचन
243 ठ– संघ राज्यक्षेत्रों पर प्रवर्तन
243 ड– कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
243 ढ– विद्यमान विधियों और पंचायतों की निरन्तरता
243 ण– निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 9–क (Part IX)

नगरपालिकायें

243 त– परिभाषायें
243 थ– नगरपालिकाओं का गठन
243 द– नगरपालिकाओं की संरचना
243 ध– वार्डों, समितियों आदि का गठन और उनकी संरचना
243 न– स्थानों का आरक्षण
243 प– नगरपालिकाओं आदि की अवधि
243 फ– सदस्यता के लिए अनर्हता
243 ब– नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

243 भ– नगरपालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और उनकी निधियां
243 म– वित्त आयोग
243 य– नगरपालिकाओं के लेखा का परीक्षण
243 यक– नगरपालिकाओं के निर्वाचन
243 यख– संघ राज्यों पर प्रवर्तन
243 यग– कतिपय क्षेत्रों को इस भाग का लागू न होना
243 यघ– जिला योजना के लिए समिति
243 यङ– महानगरीय योजना के लिए समिति
243 यच– वर्तमान विधियों तथा नगरपालिकाओं की निरन्तरता
243 यछ– निर्वाचकीय मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन

भाग 10 (Part X)

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (The Schedule and Tribal Areas)

अनुच्छेद 244 : अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

अनुच्छेद 244–क : असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान–मंडल या मंत्रि–परिषद का या दोनों का सृजन।

भाग 11 (Part XI)

संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between the Union and the States)

अध्याय 1– विधायी संबंध (Legislative Relations)

विधायी शक्तियों का वितरण (Distribution of Legislative Powers)

अनुच्छेद 245 : संसद द्वारा और राज्यों के विधान–मंडलों द्वारा बनाइ गई विधियों का विस्तार

अनुच्छेद 246 : संसद द्वारा और राज्यों के विधान–मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय–वस्तु

अनुच्देद 247 : कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 248 : अवशिष्ट विधायी शक्तियां

अनुच्छेद 249 : राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 250 : यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 251 : संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान–मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

अनुच्छेद 252 : दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनोन की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

अनुच्छेद 253 : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान

अनुच्छेद 254 : संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान–मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

अनुच्छेद 255 : सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अध्याय 2– प्रशासनिक संबंध (Administrative Relations)

साधारण (General)

अनुच्छेद 256 : राज्यों की और संघ की बाध्यता

अनुच्छेद 257 : कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 257–क : (निरसित)

अनुच्छेद 258 : कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

अनुच्छेद 259 : (निरसित)

अनुच्छेद 260 : भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

अनुच्छेद 261 : सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां

जल संबंधी विवाद (Disputes relating to Waters)

अनुच्छेद 262 : अंतराज्यिक नदियों या नदी–दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन

राज्यों के बीच समन्वय (Co-ordinations between States)

अनुच्छेद 263 : अंतराज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध

भाग 12 (Part XII)

वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Contracts and Suits)

अध्याय 1– वित्त (Finance)

साधारण (General)

अनुच्छेद 264 : निर्वचन

अनुच्छेद 265 : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

अनुच्छेद 266 : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

अनुच्छेद 267 : आकस्मिकता निधि

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण Distribution of Revenues between the Union and the States

अनुच्छेद 268 : संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

अनुच्छेद 269 : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

अनुच्छेद 270 : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर

अनुच्छेद 271 : कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद 272 : कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे

अनुच्छेद 273 : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

अनुच्छेद 274 : ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

अनुच्छेद 275 : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

अनुच्छेद 276 : वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं औरनियोजनों पर कर

अनुच्छेद 277 : व्यावृत्ति

अनुच्छेद 278 : (निरसित)

अनुच्छेद 279 : ''शुद्ध आगम'' आदि की गणना

अनुच्छेद 280 : वित्त आयोग

अनुच्छेद 281 : वित्त आयोग की सिफारिशें

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (Miscellaneous Financial Provisions)

अनुच्छेद 282 : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय

अनुच्छेद 283 : संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

अनुच्छेद 284 : लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा

अनुच्छेद 285 : संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट

अनुच्छेद 286 : माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन

अनुच्छेद 287 : विद्युत पर करों से छूट

अनुच्छेद 288 : जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट

अनुच्छेद 289 : राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

अनुच्छेद 290 : कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

अनुच्छेद 290–क : कुछ देवस्यम् निधियों को वार्षिक संदाय

अनुच्छेद 291 : (निरसित)

अध्याय 2–उधार लेना (Borrowig)

अनुच्छेद 293 : राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय 3– संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद (Property, Contracts, Rights, Liabilities, Obligations and Suits)

अनुच्छेद 294 : कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 295 : अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद 296 : राजगानी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति

अनुच्छेद 297 : राज्यक्षेत्रीय सागर–खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना

अनुच्छेद 298 : व्यापार करने आदि की शक्ति

अनुच्छेद 299 : संविदाएं

अनुच्छेद 300 : वाद और कार्यवाहियां

अध्याय 4– संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

अनुच्छेद 300–क : विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

भाग 13 (Part XIII)

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिजय और समागम (Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)

अनुच्छेद 301 : व्यापार, वाणिज्य और सभागम की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 302 : व्यापार, वाणिज्य और सभागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 303 : व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन

अनुच्छेद 304 : राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन

अनुच्छेद 305 : विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करनेवाली विधियों की व्यावृत्ति

अनुच्छेद 306 : (निरसित)

अनुच्छेद 307 : अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

भाग 14 (Part XIV)

संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (Services under the Union and the States)

अध्याय 1–सेवाएं (Services)

अनुच्छेद 308 : निर्वचन

अनुच्छेद 309 : संघ का राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

अनुच्छेद 310 : संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

अनुच्छेद 311 : संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाएं

अनुच्छेद 312–क : कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 313 : संक्रमणकालीन उपबंध

अनुच्छेद 314 : (निरसित)

अध्याय 2– लोक सेवा आयोग (Public Service Commissions)

अनुच्छेद 315 : संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

अनुच्छेद 316 : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

अनुच्छेद 317 : लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

अनुच्छेद 318 : आयोग के सदस्यों और कर्मचारिगृंह की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

अनुच्छेद 319 : आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध

अनुच्छेद 320 : लोक सेवा आयोगों के कृत्य

अनुच्छेद 321 : लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के व्यय

अनुच्छेद 322 : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

भाग 14–क (Part XIV A)

अधिकरण (Tribunals)

अनुच्छेद 323–क : प्रशासनिक अधिकरण

अनुच्छेद 323–ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण

भाग 15 (Part XV)

निर्वाचन (Elections)

अनुच्छेद 324 : निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन, आयोग में निहित होना

अनुच्छेद 325 : धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

अनुच्छेद 326 : लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

अनुच्छेद 327 : विधान–मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति

अनुच्छेद 328 : किसी राज्य के विधान–मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान–मंडल की शक्ति

अनुच्छेद 329 : निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 329–क : (निरसित)

भाग 16 (Part XVI)

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions relating to Certain Classes)

अनुच्छेद 330 : लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 331 : लोक सभा में आंग्ल–भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 332 : राज्यों को विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद 333 : राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल–भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद 334 : स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात न रहना

अनुच्छेद 335 : सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद 336 : कुछ सेवाओं में आंग्ल–भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 337 : आंग्ल–भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद 338 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी

अनुच्छेद 339 : अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद 340 : पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद 341 : अनुसूचित जातियां

अनुच्छेद 342 : अनुसूचित जनजातियाँ

भाग 17 (Part XVII)

राजभाषा (Official Language)

अध्याय 1– संघ की भाषा (Language of the Union)

अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा (हिन्दी)

अनुच्छेद 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएं (Regional Languages)

अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और सघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय 3– उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा (Language of the Supreme Courts, High Courts etc.)

अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 349 : भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय 4– विशेष निदेश (Special Directives)

अनुच्छेद 350 : व्यथा के निवारणके लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद 350–क : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

अनुच्छेद 350–ख : भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

भाग 18 (Part XVIII)

आपात उपबंध (Emergency Provisions)

अनुच्छेद 352 : आपात की उद्घोषणा

अनुच्छेद 353 : आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

अनुच्छेद 354 : जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना

अनुच्छेद 355 : बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य

अनुच्देद 356 : राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

अनुच्छेद 357 : अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग

अनुच्छेद 358 : आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों के निलंबन

अनुच्छेद 359 : आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन

अनुच्छेद 359क : (निरसित)

अनुच्छेद 360 : वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

भाग 19 (Part XIX)

प्रकीर्ण (Miscelianeous)

अनुच्छेद 361 : राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण

अनुच्छेद 361–क : संसद और राज्यों के विधान–मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

अनुच्छेद 362 : *(निरसित)*

अनुच्छेद 363 : कुछ संविदों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

अनुच्छेद 363–क : देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी शैलियों का अंत

अनुच्छेद 364 : महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 365 : संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

अनुच्छेद 366 : परिभाषाएं

अनुच्छेद 367 : *निर्वचन*

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

भाग 20 (Part XX)

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution)

अनुच्छेद 368 : संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

भाग 21 (Part XXI)

अस्थायी, सक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (Temporary, Transitional and Special Provisions)

अनुच्छेद 369 : राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने को संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समवर्ती सूची के विषय हो

अनुच्छेद 370 : जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

अनुच्छेद 371 : महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–क : नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–ख : असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–ग : मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–घ : आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–ङ : आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

अनुच्छेद 371–च : सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–छ : मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–ज : अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371–झ : गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 372 : विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन

अनुच्छेद 372–क : विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 373 : निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 374 : फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के और फेडरल न्यायालय में यह परिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 375 : संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों पदाधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना

अनुच्छेद 376 : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 377 : भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 378 : लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध

अनुच्छेद 378–क : आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 379–391 : (निरसित)

अनुच्छेद 392 : कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

भाग 22 (Part XXII)

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (Short Title, Commencement, Authoritative Text In Hindi and Repeals)

अनुच्छेद 393 : संक्षिप्त नाम

अनुच्छेद 394 : प्रारंभ

अनुच्छेद 394–क : हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ

अनुच्छेद 395 : (निरसित)

भारतीय संविधान की अनुसूचिया

पहली अनुसूची	राज्य, संघ राज्य क्षेत्र का वर्ण
दूसरी अनुसूची	राष्ट्रपति और राज्यपालों के विषय में उपबंध, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति, उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति व उपसभापति के बारे में उपबंध
तीसरी अनुसूची	शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारुप
चौथी अनुसूची	राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों स्थानों का आबंटन
पाँचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन
सातवीं अनुसूची	संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
आठवीं अनुसूची	22 भाषाएँ
नौवीं अनुसूची	कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमान्यीकरण प्रथम संशोधन द्वारा स्थापित
दसवीं अनुसूची	दल परिवर्तन के बारे में उपबंध 52 वें संशोधन द्वारा स्थापित
ग्यारहवीं अनुसूची	पंचायतों को शक्तियाँ तथा प्राधिकार (73 वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा स्थापित)
बारहवीं अनुसूची	नगरपालिका की शक्तियाँ तथा प्राधिकार 74 वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा स्थापित

आठवीं अनुसूची की भाषाएँ

- मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएँ थी, जो वर्तमान में बढ़कर 22 भाषा हो गई है।
- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें सांविधानिक संशोधन 1992 द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया
- वोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी को 92 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया।

नोट : संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे जो कि वर्तमान में बढ़कर 444 हो गए हैं एवं 8 अनुसूचियों से बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

भारतीय संविधान की माँग

- भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम भारतीय संविधान बनाने की पहल स्वराज विधेयक (1896) से मिली जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। बाद में 1922 ई. में महात्मा गाँधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। 1924 में मोती लाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से माँग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मंच से पहली बार 29 जुलाई 1936 को चुनावी घोषणा–पत्र में भारतीय संविधान की माँग की गई। इसके बाद दिसम्बर 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई।
- 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की योजना के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाय।

कैबिनेट मिशन (1946)

- मजदूर दल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत राज्य सचिव लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत भेजा। यह मिशन 24 मार्च, 1946 को भारत पहुँचा। इसमें दो अन्य सदस्य भी शामिल थे– 1. सर स्टैफर्ड क्रिप्स (व्यापार मंत्री), 2. ए. वी. एलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री)। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई, 1946 को प्रकाशित की जिसके अनुसार–
  1. ब्रिटिश प्रांतों और देशीय रियासतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाना था जिसके पास रक्षा सम्बन्धी, विदेश सम्बन्धी और परिवहन सम्बन्धी मामले होते।
  2. एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाना था जिसमें भारत के प्रमुख दलों के नेता शामिल होते। यह मंत्रिमण्डल 14 सदस्यीय होता है।
  3. एक संविधान सभा का गठन किया जाना था जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते। प्रति दस लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। चुनाव क्षेत्र तीन भागों में बंटा था– (क) साधारण क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र, (ख) मुस्लिम क्षेत्र, (ग) सिक्ख क्षेत्र।
- प्रांतीय विधान सभाओं को तीन समूहों में बाँटा गया था– **(क) हिन्दू बाहुल्य क्षेत्र–** संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास।

  (ख) उत्तरी–पश्चिमी भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र– पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत।

  (ग) पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र– बंगाल और असम।
- जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य निर्वाचित किए गए कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य और देशीय रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुनकर आये। इस प्रकार से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए।

1946 का अन्तरिम मंत्रिमण्डल

जवाहर लाल नेहरू	:	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमण्डल
बल्लभ भाई पटेल	:	गृह मंत्री और सूचना तथा प्रसारण मंत्री
सरदार बलदेव सिंह	:	रक्षा मंत्री
सी. राज गोपालाचारी	:	शिक्षा मंत्री
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	:	खाद्य एवं कृषि मंत्री
आसफ अली	:	रेल मंत्री
जगजीवन राम	:	श्रम मंत्री
जान मथाई	:	उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री
सी. एच. भाभा	:	खान एवं बन्दरगाह मंत्री
लियाकत अली खान (मुस्लिम लीग)	:	वित्त मंत्री
आई. आई चुन्दरीगर (मुस्लिम लीग)	:	वाणिज्य मंत्री
अब्दुल रब नस्तर (मुस्लिम लीग)	:	संचार मंत्री
गजांतर अली खां (मुस्लिम लीग)	:	स्वास्थ्य मंत्री
जोगेन्द्र नाथ मण्डल (मुस्लिम लीग)	:	विधि मंत्री

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई जहाँ डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। 11 दिसम्बर, 1946 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा की समक्ष उद्देशिका (प्रस्तावना) को पेश किया जो 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।
- 3 जून 1947 को माउण्ट बेटेन योजना प्रकाशित हुई जिसके द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार से पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित कर दी गई। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को आयोजित की गई। जिसमें कुल 299 सदस्य ही उपस्थित थे।
- संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया जैसे–

समिति	अध्यक्ष
संचालन समिति	**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद**
परामर्श या सलाहकार समिति	**बल्लभ भाई पटेल**
(परामर्श समिति की दो उपसमितियाँ थी– (क) मूलाधिकार समिति जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, (ख) अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष एच. सी. मुखर्जी थे)	
संघ संविधान समिति	**जवाहर लाल नेहरू**
प्रांतीय संविधान समिति	**बल्लभ भाई पटेल**
प्रारूप या मसौदा समिति	**डॉ. भीम राव अम्बेडकर**
झंडा समिति	**आचार्य जे.बी. कृपलानी**
*(संविधान सभा में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया और राष्ट्रीय झंडा गीत – 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा...' को भी अपनाया गया जिसे श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। यह गीत सर्वप्रथम 1925 ई. में कानपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया। सरोजिनी नायडू को रविन्द्रनाथ टैगोर ने **'भारत कोकिला'** की उपाधि दी थी।)*	

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

प्रारूप समिति के सदस्य

1. डॉ. भीम राव अम्बेडकर : अध्यक्ष
2. एन. गोपाल स्वामी आयंगर
3. अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर
4. कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी
5. सैय्यद मुहम्मद सादुल्ला
6. एन. माधव राव *(इन्हें बी. एल. मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था जो थोड़े दिनों तक समिति के सदस्य थे)*
7. डी. पी. खेतान *(1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया)*

- संविधान सभा की परामर्श समिति में 17 मार्च, 1947 को प्रांतीय विधानमण्डलों और केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के सम्बन्ध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। इन प्रश्नावलियों के भेजे गये उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी. एन. राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया।
- वी. एन. राव द्वारा तैयार किये गये संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार–विमर्श करने के बाद 21 फरवरी, 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। संविधान सभा में संविधान के लिए तीन वाचन हुए– 1. प्रथम वाचन– 4 नवम्बर, 1948 से 9 नवम्बर 1948, 2. द्वितीय वाचन– 15 नवम्बर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949, 3. तृतीय वाचन– 14 नवम्बर, 1949 से 26 नवम्बर, 1949।
- संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव (वी. एन. राव) और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर (संविधान के जनक या आधुनिक मनु) के प्रयासों से हमारा संविधान 26 नवम्बर, 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया और इसी दिन इसे संविधान सभा ने अंगीकार भी कर लिया। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे तथा इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। इस पर कुल 6396729 रु. व्यय हुए।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रगीत (वन्दे मातरम) को भी अपनाया। इसी दिन संविधान सभा अंतरिम संसद (कार्यवाहक संसद) के रूप में परिणत हो गई। 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (जून, 1948 से 26 जनवरी, 1950) ने कार्यभार सौंप दिया।
- मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। (अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई।)

नौंवी अनुसूची

- संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन किया गया जिसके द्वारा नौंवी अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को रखा गया और इन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

दसवीं अनुसूची

- 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें दल–बदल सम्बन्धी कानूनों को रखा गया है।

ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची

- 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राजव्यवस्था सम्बन्धी कानूनों को रखा गया है। इसी वर्ष 74वें संशोधन के द्वारा बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपालिका सम्बन्धी कानूनों को रखा गया।

भारतीय संविधान का निर्माण

- जो संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित की गयी थी, भारत के प्रभुत्व सम्पन्न संविधान सभा के रूप में पुनः **समवेत** की गयी। पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र के सदस्यों के निकल जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गयी।
- संविधान सभा का गठन **केबिनेट मिशन योजना** के सुझावों के आधार पर किया गया था।
- **2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन** के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया।
- 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान के कुछ प्रावधान **26 नवम्बर 1949 को ही लागू** कर दिये गये और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी, 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तारीख की कहा जाता है।
- 13 दिसम्बर, 1946 ई. को पं. जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक **उद्देश्य प्रस्ताव** प्रस्तुत किया जिसे 22 जनवरी 1947 ई. को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया।

संविधान सभा की समिति

संविधान के निर्माण में विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा ने **22 समितियों** का गठन किया जिसमें 10 समितियाँ प्रक्रिया संबंधी और 12 स्वतंत्र कार्यों संबंधी थीं, जिनमें प्रमुख हैं–

- संचालन समिति (अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)
- विधि प्रक्रिया समिति (अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)
- प्रारूप समिति (अध्यक्ष– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर)
- राज्यों के साथ समझौता–वार्ता समिति (अध्यक्ष– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद)
- संघीय संविधान समिति (अध्यक्ष– जवाहरलाल नेहरू)
- प्रांतीय संविधान समिति (अध्यक्ष– सरदार पटेल)
- प्रारूप संविधान की विशेष जाँच समिति (अध्यक्ष– सर अल्लदारी कृष्णस्वामी अय्यर)
- संघीय शक्ति समिति (अध्यक्ष– जवाहर लाल नेहरू)
- मौलिक अधिकार (अध्यक्ष– आचार्य जे. बी. कृपलानी) और अल्पसंख्यक समिति (अध्यक्ष– एच. सी. मुखर्जी)

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- संविधान का प्रारुप तैयार करने के लिए **29 अगस्त, 1947 ई.** को **डॉ. भीमवराव अम्बेडकर की अध्यक्षता** में 7 सदस्यों की एक **प्रारुप समिति** का गठन किया गया।
- आचार्य **जे. बी. कृपलानी** को संविधान सभा के **झंडा समिति** का अध्यक्ष तथा **श्री वी.एन. राव** को संविधान सभा का विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई. को हुई तथा इसी दिन सदस्यों द्वारा संविधान का अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए।
- भारत के मूल संविधान **395 अनुच्छेद**, **22 भाग** और **8 अनुसूचियाँ** थीं। इसके निर्माण पर लगभग **6.4 करोड़ रुपये** खर्च हुए।
- वर्तमान भारतीय संविधान में कुल **22 भाग, 444 अनुच्छेद** और **12 अनुसूचियाँ** हैं।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया है।

भारतीय संविधान के स्रोत

- **ब्रिटेन (इंग्लैंड, यू.के.)** : संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया (विधि का शासन), एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलों का लोकसभा और विधान सभाओं के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति।
- **अमेरिका (यू.एस.ए.)** : मौलिक अधिकार (मूल अधिकार), राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, संविधान की सर्वोच्चता, महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपात।
- **कनाडा** : संघात्मक शासन व्यवस्था– केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन (संघ सूची और राज्य सूची)।
- **आयरलैंड** : नीति–निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन।
- **जर्मनी** : आपात उपबंध।
- **सोवियत संघ (रूस, यू.एस.एस.आर.)** : मौलिक कर्त्तव्य (मूल कर्त्तव्य), पंचवर्षीय योजनाएँ।
- **फ्राँस** : गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।
- **ऑस्ट्रेलिया** : समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा।
- **दक्षिण अफ्रीका** : संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
- **जापान** : 'कानून द्वारा स्थापित' शब्दावली।

- भारतीय संविधान भारत में प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है।
- भारत लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।
- पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में नहीं घोषित करता है वरन् सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है।
- समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। साधारणतया इससे तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन राज्य के नियंत्रण में होते हैं लेकिन भारतीय समाजवाद अनोखा है। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल देता है।
- भारतीय संविधान ने संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना की है जिसमें वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद् के पास है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के सदस्यों द्वारा निर्मित होती है।
- भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है जहाँ केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।
- भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता मौलिक अधिकारों की घोषणा है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है।
- संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। इन्हें पूरा करना राज्य का पवित्र कर्त्तव्य माना गया है।
- भारतीय संविधान लचीलापन तथा कठोरता का अनोखा मिश्रण है।
- भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षणों की प्रधानता है। आपातकाल में तो यह पूर्णतया एकात्मक बन जाता हैं सामान्य काल में भी केन्द्रीय सरकार अधिक शक्तिशाली है।
- स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है।
- भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि प्रांत का।
- नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। संविधान के भाग 4 क में नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है (वर्तमान में 11 मूल कर्त्तव्य हैं)।
- भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता हैं भारत में संविधान सर्वोचच है और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान माने गए हैं।

संविधान की प्रस्तावना (उद्देशिका)

''हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, **समाजवादी पंथ निरपेक्ष**
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्यायविचार, अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और **अखण्डता** सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए।
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज (दिनाँक 26 नवम्बर, 1949 ई. मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी को) एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हों।''

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक महत्व नहीं है। अर्थात् यह **न्यायालय में प्रवर्तित नहीं** किया जा सकता।
- प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों का स्पष्ट करता हैं इस कारण इसका महत्व है। प्रस्तावना संविधान के स्त्रोत के रूप में कार्य करता हैं अतः जहाँ सांविधानिक प्रावधान सुस्पष्ट न हों वहाँ उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है।
- प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। जिसका तात्पर्य है कि संविधानक` अधीन सभी शक्तियों का स्त्रोत भारत की जनता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन **प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता हैं** लेकिन प्रस्तावना का जो भाग संविधान के **मूल ढाँचे** के अधीन आता है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता।
- 1960 ई. में बेरूबारी केस के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973 ई.)** के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी केस में पहली बार आधारभूत ढाँचा का उल्लेख किया गया था।
- संविधान के लागू होने से अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है।
- प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। **42 वें संवैधानिक 1976** द्वारा प्रस्तावना में **तीन** नये शब्द **समाजवादी, पंथ निरपेक्ष** और **अखण्डता** जोड़े गए।

संघ और उसका राज्यक्षेत्र (भाग–I)

- भारतीय संवधिान के **भाग–I** अनुच्छेद–1 से 4 तक में संघ और उसके राज्यक्षेत्र के विषय में उपबंध किया गया है।
- भारत न तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीट्जरलैंड की तरह एक परिसंघ है और न तो दक्षिण अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया की तरह एक संघ है बल्कि **यह राज्यों का एक संघ है।**
- **अनुच्छेद 1** : संविधान में भारत के दो नाम बताये गये हैं– 1. भारत ; 2. इण्डिया। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।
- भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं–
  1. राज्यों के राज्य क्षेत्र
  2. संघ राज्य क्षेत्र और
  3. ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जायें।
- आजादी के पूर्व कांग्रेस ने भाषायी आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. के. दर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 1948 में किया जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। इस रिपोर्ट का बड़ा विरोध हुआ इसलिए 1948 में ही जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल और पट्टाभिसीतारमैया के नेतृत्व में एक कमेटी (जे.वी.पी. कमेटी) का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। इसमें कहा गया है कि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण नहीं होना चाहिए किन्तु यह भी व्यापक जनभावना की माँग है तो उसे मान लेना चाहिए।
- मद्रास प्रेसीडेंसी ने तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामाल्लु अलग भाषा के आधार पर राज्य की माँग करते हुए 56 दिनों तक आमरण अनशन किया और 15 दिसम्बर, 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। 19 दिसम्बर, 1952 को पं. जवाहर लाल नेहरू तेलगू भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इस प्रकार भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आन्ध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया।

राज्य पुनर्गठन आयोग (1953)

- जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जिसमें के. एम. पणिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू भी शामिल थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंप कर जिसमें कहा गया था कि– 1. केवल भाषा और संस्कृत के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। 2. देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक आवश्यकता और पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी आधार में रखना चाहिए। 3. 16 राज्यों और 3 केन्द्रशासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। (ए, बी, सी, और डी जैसे राज्यों के वर्गीकरण समूह को समाप्त किया जाना चाहिए।)
- सरकार ने कुछ सिफारिशों के साथ इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया जिसके अनुसार 14 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया।
- वर्तमान में **28 राज्य** और **7 केन्द्रशासित प्रदेश** हैं। **छत्तीसगढ़ (गठन– 1 नवम्बर, 2000 ई.)**, **उत्तरांचल (गठन– 9 नवम्बर, 2000 ई.)** और **झारखण्ड (15 नवम्बर, 2000 ई.)** नामक **तीन नये राज्यों** का गठन **नवम्बर, 2000** में किया जो भारत में क्रमशः **26 वें, 27 वें** और **28 वें** राज्य हैं।
- **अनुच्छेद–2** में संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति का वर्णन किया गया है।
- **अनुच्छेद–3** के अंतर्गत संसद को नये राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है।
- सर्वप्रथम **भाषाई आधार पर 1953 में आन्ध्रप्रदेश राज्य** का गठन किया गया।
- **1962 में पाण्डिचेरी** को भारत का छठा केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया।
- **1961 में गठित गोवा, दमन और दीव को** भारत का **सातवाँ केन्द्र शासित प्रदेश** बनाया गया।
- बंबई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्रों को उससे अलग करके गुजरात को भारत 15वाँ राज्य बनाया गया।
- **नागालैण्ड** भारत का **16वाँ** राज्य था, जिसका गठन **1962 में** किया गया।
- **1966 में पंजाब** के हिन्दी भाषी क्षेत्रों को **हरियाणा राज्य** के रूप में गठित किया गया तथा केन्द्रशासित प्रदेश **चंडीगढ़** भी बनाया गया।
- **1969 में मेघालय** का गठन एक उपराज्य के रूप में किया गया जिसे **1971 में हिमाचल प्रदेश** के साथ पूर्ण राज्य का गठन किया गया।
- **1975 में सिक्किम** नामक राज्य का गठन किया गया।
- **1975 में ही मणिपुर** तथा **त्रिपुरा** को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- **मिजोरम** तथा **अरुणाचल प्रदेश** राज्य का गठन **1986 में** किया गया, जबकि **गोवा** को **केंद्र शासित प्रदेश** की श्रेणी से निकालकर **पूर्ण राज्य** का दर्जा **1987** में प्रदान किया गया।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

संविधान संशोधन तथा उसके द्वारा राजयों का गठन

संविधान संशोधन	राज्यों का गठन
7वाँ, 1956	केन्द्र को भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति देने के लिए।
10वाँ, 1961	दादर एवं नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा।
12वाँ, 1962	गोवा तथा दमन, दीव को भारत में शामिल कर संघराज्य क्षेत्र का दर्जा।
13वाँ, 1962	नागालैंड को राज्य क्षेत्र का दर्जा।
14वाँ, 1962	पाण्डिचेरी को संघराज्य क्षेत्र का दर्जा।
18वाँ, 1966	पंजाब तथा हरियाणा को राज्य तथा हिमाचल प्रदेश को संघराज्य क्षेत्र का दर्जा
22वाँ, 1969	मेघालय को राज्य का दर्जा।
27वाँ, 1975	मणिपुर तथा त्रिपुरा को राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघराज्य क्षेत्र का दर्जा।
36वाँ, 1975	सिक्किम को भारत में शामिल करके राज्य का दर्जा।
53वाँ, 1986	मिजोरम को राज्य बनाने के लिए।
55वाँ, 1986	अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा।
56वाँ, 1987	गोवा को राज्य का दर्जा।
राज्य 'पुनर्गठन विधेयक, 2000	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार को बाँटकर क्रमशः उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का गठन किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग और उनकी अनुशंसाएँ

- **1936** **संवैधानिक सुधार समिति** : इसकी अनुशंसा पर साम्प्रदायिक आधार पर सिंध प्रान्त का गठन किया गया।
- **1948** **दर आयोग** : हांलांकि इसने वर्तमान परिस्थितियों में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया एवं प्रशासनिक सुविधा, इतिहास एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया।
- **1948** **जे. वी. पी. आयोग** प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर दिया एवं इन सबको ध्यान में रखते हुए भाषा को आधार बनाये जा सकने की संभावना से इंकार नहीं किया। भाषा के आधार पर इस रिपोर्ट के बाद ही आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में हुआ।
- **1955** **फजल अली आयोग** : राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक, आर्थिक, वित्तीय व्यवहार्यता एवं आर्थिक (राज्य पुनर्गठन आयोग) विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा को पुनर्गठन का आधार माना। (अन्य सदस्य– के. एस. पन्निकर, हृदयनाथ कुंजरू) सरकार ने इस आयोग की अनुशंसा को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार किया एवं इसी अनुशंसा पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया।

नागरिकता

- संविधान के **भाग–II**, **अनुच्छेद–5 से 11** तक में नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद–5** के अनुसार संविधान के आरंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, जिसका भारत में अधिवास है।
- **अनुच्छेद–6** पाकिस्तान से प्रवजन करके आये व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद–7** में पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है।
- **अनुच्छेद–8** भारत में जन्में किन्तु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद–9** में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
- **अनुच्छेद–11** संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित राज्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- भारत में नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ हैं–
  - ❖ भारत में जन्म तथा माता–पिता में कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  - ❖ उत्तराधिकार से, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण (Natualization) द्वारा।

नागरिकता समाप्त होने की तीन विधियाँ

परित्याक (Renunciation)

- यह एक स्वैच्छिक कर्म है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात् अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हैं
- यह प्रावधान कुछ शर्तों पर निर्भर करता है।

पर्यवसान (Termination)

- यह कानूनी प्रक्रिया द्वारा सम्भव होता है, जब कोई भारतीय नागरिक स्वच्छापूर्वक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

वंचित किया जाना (Deprivation)

- पंजीकरण (registration) अथवा देशीयकरण (natualisation) द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप होने पर, यह भारत सरकार द्वारा नागरिकता की अनिवार्य रूप से की जाने वाली समाप्ति है।

मूल अधिकार

- भारतीय संविधान के **भाग–III** तथा **अनुच्छेद–12 से 35** तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है।
- भारत में मूल अधिकार की सर्वप्रथम मांग स्वराज विधेयक 1895 में की गई थी। 1925 में ऐनी बेसेन्ट ने कामन वेल्थ ऑफ इण्डिया बिल के माध्यम से तथा 1928 में मोती लाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसकी मांग की। 1931 में करांची कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित मूल अधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 1945 में भारत के संविधान के संबंध में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- संविधान के भाग–III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दिये गये हैं न कि सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध। व्यक्तियों के अनुचित कृत्यों के विरुद्ध साधारण विधि में उपचार उपलब्ध होते हैं।
- **अनुच्छेद 13(2)** के अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता, जो मूल अधिकारों को कम करती हो या छीनती हो। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। किसी भी विधि, उपविधि अथवा कार्यकारिणी के आदेश द्वारा यदि मूलाधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- **अनुच्छेद–13** उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हों।
- **शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)** और **सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार (1964)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि **अनुच्छेद 368** में विहित प्रक्रिया का उपयोग कर संसद द्वारा मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है।
- परंतु **गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्ण के विरुद्ध 6 : 5 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368स के अधीन संसद को मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त नहीं है।
- **केशवानंद भारतीय केरल राज्य (1973)** के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुनः यह स्थापित किया कि संसद को मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। परंतु ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा, जिससे संविधान के मौलिक ढाँचे को आघात पहुँचता हो। उच्चतम न्यायालय ने बाद के अन्य कई मामलों में भी यही मत व्यक्त किया है।
- भारतीय संविधान में नागरिकों को छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं।
- संविधान के भाग–III के मूल अधिकारों की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किये गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार न केवल राज्यों के विरुद्ध बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्थलों के उपयोग के बारे में भेदभाव का प्रतिपेध (अनुच्छेद 15(2)), अस्पृश्यता का प्रतिषेध (अनुच्छेद 17) विदेशी उपाधि स्वीकार करने का परिषेध (अनुच्छेद 18(3)(4)), मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23) खतरनाक कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद–24)।
- कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिये गए हैं, विदेशियों को नहीं। उदाहरण के लिए– धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिपेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानत (अनुच्छेद 16), भाषण व अभिव्यक्ति, सम्मेलन संगम, आवागमन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), 29 और 30।
- कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वे विदेशी हों या भारतीय नागरिक। उदाहरण के लिएविधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14), अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण **(अनुच्छेद 22)** **धर्म की स्वतंत्रता** (अनुच्छेद 25–28)।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

समता का अधिकार (अनु. 14–18)	स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19–22)	शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23–24)	धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनु. 25–28)	संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29–30)	सांविधानिक उपचारों का अधिकार (32–35)
1. विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण (अनु. 14) 2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनु. 15) 3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनु. 16) 4. अस्पृश्यता का अन्त (अनु. 17) 5. उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद 18)	1. वाक् स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण (अनु. 19) 2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनु. 20) 3. प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (अनु. 21) 4. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनु. 22)	1. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनु. 23) 2. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनु. 24)	1. अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता (अनु. 25) 2. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता (अनु. 26) 3. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में संदाय की स्वतन्त्रता (अनु. 27) 4. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतन्त्रता (अनु. 28)	1. अलपसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनु. 29) 2. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनु. 30)	1. मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार (अनु. 32) 2. मूलाधिकारों में उपांतरण (संशोधन) करने की संसद की शक्ति (अनु. 33) 3. सैनिक कानून वाले क्षेत्रों में मूलाधिकारों पर प्रतिबंधन (अनु. 34) 4. मूल अधिकारों सम्बन्धी उपबन्धों को प्रभावी करने हेतु प्रावधान (अनु. 35)

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

1. समानता का अधिकार

- समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन **अनुच्छेद 14 से 18** तक में किया गया है।
- **अनुच्छेद 14** विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार– इसमें पहली पदावली ब्रिटेन से ली गयी है जिसका अर्थ है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। दूसरी पदावली अमेरिका से ली गयी जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में पाये जाने पर कानून सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा।
- **अनुच्छेद 15** राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव न करे।
- **अनुच्छेद 15** के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। विदेशियों को नहीं।
- **अनुच्छेद 15** का खण्ड–2 सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का निषेध करता है।
- अनुच्छेद 15 का खण्ड 3 राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15 का खण्ड 4 प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गयी है। सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) के आधार पर ही किया गया है।
- इस प्रकार अनुच्छेद 15 के खण्ड 3 और अनुच्छेद 15(1) और (2) के सामान्य नियम के अपवाद हैं।
- **अनुच्छेद 16** लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 के खण्ड 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव,निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो किसी नागरिक को अपात्र माना जाएगा और न कोई विभेद किया जाएगा।
- अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार का उपबंध तभी किया जा सकता है जब वर्ग पिछड़ा हो और उसका राज्यधीन पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हुआ हो।
- **अनुच्छेद 17** अस्पृश्यता का अंत करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
- सरकार ने 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया बाद में इसे 1976 में संशोधित करके सिविल (नागरिक) अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 पारित किया जो आज प्रवृत्त है।
- **अनुच्छेद 18** उपधियों का अंत– 1. राज्य सेना सम्बन्धी या शिक्षा सम्बन्धी सम्मान के सिवाय और कोई उपाय नहीं प्रदान करेगा। 2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा किन्तु यदि वह उपाधि स्वीकार करता है तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- भारत सरकार ने 1954 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे पुरस्कार देना शुरू किया था किन्तु 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इन उपाधियों का अन्त कर दिया। अन्त में 1980 में कांग्रेस की सरकार ने इन्हें पुनः देना शुरू किया।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

- स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19–22 तक किया गया है।
- **अनुच्छेद 19** भारत के नागरिकों को 6 बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। ये निम्नलिखित हैं–
  1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  2. बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता
  3. संघ बनाने की स्वतंत्रता
  4. भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता
  5. भारत के किसी भी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता
  6. वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता
- उपर्युक्त स्वतंत्रतायें राज्य के विरुद्ध सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन ये कोई आत्यंतिक या असीमित अधिकार नहीं है।
- विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाचारों को जानने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- **अनुच्छेद 20** में सभी व्यक्तियों को चाहे वे विदेशी हों या भारतीय नागरिक यह अधिकार देता है कि– 1) जब तक उसने किसी कानून की अवहेलना करके कोई अपराध न किया हो, उसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता या जिस समय किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया उस समय उस अपराध के लिए जितने दण्ड की संभावना थी उस व्यक्ति को उससे अधिक दण्ड नहीं दिया जा सकता। 2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता और 3) किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 21** प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में उपबंध करता है।
- अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं।
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है वरन् इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- अनुच्छेद 21(क) 86वाँ संविधान संशोधन (2002 ई.) द्वारा जोड़ा गया है जो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है और प्रत्येक राज्य का यह कर्त्तव्य होगा कि वह 6–14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराये।
- **अनुच्छेद 22** व्यक्ति को गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्रदान करता है।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- अनुच्छेद 22 यह प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना आवश्यक है। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अधिवक्ता के माध्यम से अपनी सफाई पेश करने का अधिकार दिया गया है तथा प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है।
- अनुच्छेद 22 के खण्ड (3) से (7) तक मं निवारक निरोध से संबंधित प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 22 संसद को निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है।
- निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम तीन माह के लिए निरोध में रखा जा सकता है।
- सर्वप्रथम 1950 में संसद ने निवारक निरोध अधिनियम पारित किया जिसे 1969 में प्रयास कर दिया गया। सन् 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) पारित किया गया, जिसे 1977 में जनता सरकार ने निरस्त कर दिया। पुनः 1980 ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

- **अनुच्छेद 23** मनुष्यों के क्रय–विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दण्डनीय अपराध घोषित करता है।
- अनुच्छेद 23 न केवल राज्य के विरुद्ध वरन् प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षा प्रदान करता है।
- लेकिन इसका एक अपवाद भी है। राज्य को सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ऐसी सेवा धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के विभेद के बिना सभी पर समान रूप से आरोपित की जानी चाहिए।
- **अनुच्छेद 24** यह उपबंध करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों में किन्हीं अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। अतः संविधान में **अनुच्छेद 25 से 28** के अंतर्गत भारत के सभी व्यक्तियों को धर्म में विश्वास करने, धार्मिक कार्य करने व उका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **अनुच्छेद 25** यह प्रावधान करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। किन्तु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 26** सभी धार्मिक सम्प्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंध का अधिकार होगा।
- **अनुच्छेद 27** में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या उसके पोषण में व्यय के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 28** यह प्रावधान करता है कि जो विद्यालय पूरी तरह सरकारी राजकोष में चलाए जाते हैं, उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और जो विद्यालय सरकार से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं अथवा जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उनमें विद्यार्थी या उसके संरक्षक की स्वीकृति के बिना दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

5. संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार

- भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं तथा संस्कृतियों का देश है। अतः संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
- **अनुच्छेद 29** अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार को गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 30** शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। (1) सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे भाशा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हों, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रबंध का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 30 के खण्ड (2) में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई संस्था किसी विशेष धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों की सार्थकता तभी होगी जब उन्हें लागू किया जा सके और उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्राप्त किया जा सके। हमारा संविधान न केवल कतिपय मूल अधिकारों की गारंटी देता है वरन् सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना के लिए किये गये कार्यों के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्राप्त करने का भी अधिकार देता है। नागरिक अपने अधिकारों के विरुद्ध सरकार के किसी भी कृत्य को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं।
- **अनुच्छेद 32** के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा **अनुच्छेद 226** के तहत उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अभिलेख जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध निम्नलिखित 5 प्रकार के अभिलेख जारी करता है (1) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (2) परमादेश, (3) प्रतिषेध, (4) उत्प्रेरण और (5) अधिकार पृच्छा।

बंदी प्रत्यक्षीकरण : यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी अन्य व्यक्ति को निरोध में रखता है। इसमें गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर वह उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करे, जिसको उसने गिरफ्तार किया है। इसमें यात्रा की अवधि सम्मिलित नहीं होती है।

परमादेश (लोकतंत्र का प्रहरी) : यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब कोई प्राधीकारी या न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों में उपेक्षा बरते और न्यायालय रिट जारी करके उसे अपना कर्तव्य करने के लिए बाध्य करता है।

प्रतिषेध : यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

उत्प्रेषण : यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लम्बित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें।

इस प्रकार प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों रिटों के अधिकार एक से ही हैं। लेकिन प्रतिषेध रिट प्रारंभिक चरण में जारी की जाती है और उत्प्रेषण उत्तरवर्ती चरणों में।

अधिकार पृच्छा : अधिकार पृच्छा द्वारा लोकपद पर बने किसी व्यक्ति से उसके पद पर बने रहने का औचित्य पूछा जाता है।

केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार :

अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30

सभी को प्राप्त मौलिक अधिकार :

अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

भाग III के बाहर उल्लिखित अधिकार :

- **अनुच्छेद 300 क :** संपत्ति का अधिकार (right to property)– विधि के प्राधिकार (authority of law) से ही किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- **अनुच्छेद 301 :** व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता (freedom of trade, commerce & intercourse)– इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।
- **अनुच्छेद 326 :** वयस्क मताधिकार (adult suffrage)– लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर होंगे। (61वाँ संविधान संशोधन 1989 ई.)

संपत्ति का अधिकार

- मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1), 31, 31(A), 31(B) और 31(C) में संपत्ति के अधिकार और उस पर लगाई गई सीमाओं से संबंधित प्रावधान किए गए थे। किन्तु, 44वें संविधान संशोधन, **1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग–12 में एक नया अनुच्छेद 300–A जोड़कर उसमें शामिल कर दिया गया।**
- **अनुच्छेद 300–A** के अनुसार, कानून के **आदेश के बिना किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।** इस प्रकार, अब संपत्ति के अधिकार को अन्य मूल अधिकारों की भाँति संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, बल्कि इसे केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राज्य के नीति के निदेशक तत्व

- संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है।
- नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को रखा गया है, जिनका पालन करना राज्यों का कर्त्तव्य है। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि 'नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इनमें **एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित** है।'
- यद्यपि की राज्य के नीति निदेशक तत्व **न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है** तथापि देश के शासन में ये मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्त्तव्य है कि विधि बनाने में इन तत्वों का ध्यान रखें।
- संविधान के भाग 4 के नीति निदेशक तत्वों को निम्नलिखित पाँच समूहों में बाँटा जा सकता है–

(क) आर्थिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व

- पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। (अनुच्छेद 39(क))
- समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो, जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। (अनुच्छेद 39(ख))
- आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले, जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित में सकेन्द्रणन हो। (अनुच्छेद 39 (ग))
- पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। (अनुच्छेद 39(घ))
- कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े। (अनुच्छेद 39(5))
- बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास केअवसर और सुविधायें दी जायें तथा बालकों एवं अवयस्क व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये। (अनुच्छेद 39(च))
- राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने, तथा बेकरी, बुढ़ापा बीमारी और अंगहानि की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने का उपबंध करेगा। (अनुच्छेद 41)
- **अनुच्छेद 43** में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह **कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी**, शिष्ट जीवन स्तर और उसका संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रापत करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा।
- अनुच्छेद 38(2) यह उपबंध करता है कि राज्य आय की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

(ख) सामाजिक न्याय संबंधी निदेशक तत्व

- राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर **अनुसूचित जातियों** तथा **अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा** तथा **अर्थ संबंधी हितों** की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा **(अनुच्छेद 46)**
- राज्य अशिक्षा को दूर करने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** देने का उपबंध करेगा (अनुच्छेद 45)
- राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक **समान सिविल संहिता** प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। **(अनुच्छेद 44)**
- राज्य यह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार कार्य करे कि सभी को अवसर के आधार सुलभ हों और आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये तथा उपर्युक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे। **(अनुच्छेद 39(क))**

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

(ग) राजनीति संबंधी निदेशक तत्व

- राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनहें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। (अनुच्छेद 40)
- राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। (अनुच्छेद 50)

(घ) पर्यावरण संबंधी निदेशक तत्व

- राज्य देश के **पर्यावरण की सुरक्षा** तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा **वन्य जीवों की रक्षा** करने का प्रयास करेगा। (अनुच्छेद 48 (क))
- राज्य **राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं** की रक्षा करेगा (अनुच्छेद 49)
- राज्य का यह प्राथमिक कर्त्तव्य होगा कि वह लोगों के **पोषाहार स्तर और जीवनस्तर को ऊँचा करने** और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे तथा मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन को छोड़कर उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करे। (अनुच्छेद 47)
- राज्य **कृषि और पशुपालन को आधुनिक** और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारु और वाहक ढोरों की नस्ल के परिक्षण और सुधारने के लिए औरउनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। (अनुच्छेद 48)

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व

- राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
- राज्यों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।
- एक–दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करे।
- अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करे।
- सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्वों को पूण्यात्मा लोगों की महत्वकांक्षा मात्र कहा है।
- डॉ. पणिकर के अनुसार नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है।
- डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है जो राजनैतिक लोकतंत्र से भिन्न है।
- ग्रेनविल आस्टिल के अनुसार नीति–निदेशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है।

मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त में अन्तर

	नीति निर्देशक सिद्धांत		मौलिक अधिकार
1.	यह आयरलैण्ड के संविधान से लिया गया है।	1.	यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
2.	इसका वर्णन संविधान के भाग–4 में किया गया है।	2.	इसका वर्णन संविधान के भाग–3 में किया गया है।
3.	इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है।	3.	इसे लागू कराने के लिये अनु. 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनु. 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है।
4.	यह समाज की भलाई के लिए है।	4.	यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है।
5.	इसके पीछे राजनैतिक मान्यता है।	5.	मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है।
6.	यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है	6.	यह सरकार के महत्व को घटाता है।
7.	यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है।	7.	यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है।

मूल कर्त्तव्य (भाग 4–क)

- मूल संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिये गए थे, लेकिन कर्त्तव्यों को कोई उल्लेख नहीं था।
- स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42 वें संवैधानिक संशोधन (1976) द्वारा संविधान में मूल कर्त्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(क) जोड़ा गया।
- भाग 4(क) अनुच्छेद 51(क) में नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया था लेकिन अब 11 (86वाँ संविधान संशोधन 2002 ई.) है।

नागरिकों के मूल कर्त्तव्य

- प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–
  1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
  2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चादर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे।
  3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें।
  4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
  5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद–भाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
11. **प्रत्येक अभिभावक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों का अनिवार्य शिक्षा दिलायें। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।**

राष्ट्रपति

- भारत में संसदीय शासन–प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है लेकिन **अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा।**

राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ

- अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए।
  1. वह भारत का नागरिक हो
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होस
  3. वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो
  4. वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो।
- यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री हो तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- लाभ के पद का निर्धारण संसद करती है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें (क) **संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य** तथा (ख) **राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य** शामिल होते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बने **निर्वाचक मण्डल** में संसद के दोनों सदनों के **मनोनीत सदस्य**, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा **राज्य विधान परिषद् के सदस्य सम्मिलित नहीं होते।**
- वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सदस्य और समस्त राज्यों की विधान सभाओं में कुल 4120 निर्वाचित सदस्य हैं।
- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली–** सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों के योग के बराबर होगा।
- **एक संक्रमणीय (हस्तांतरणीय) प्रणाली–** यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हों तो मतदाताओं को वरीयताक्रम से वोट दिया जाए। इस प्रणाली को हेयर पद्धति भी कहा जाता है।
- **राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल्य** = राज्य की कुल जनसंख्या / राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या × 1000 (यदि शेषफल 500 से अधिक आये तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में 1 और जोड़ दिया जाता है।)
- **संसद सदस्य का मतमूल्य** = भारत के समस्त राज्य विधानसभाओं के निवाचित सदस्यों के मतमूल्यों का योग / संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग
- भारत में राष्ट्रपति का चुनाव **अप्रत्यक्ष निर्वाचन** द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति पद के लिए 10,000 रु. जमानत राशि, 50 मतदाता प्रस्तावक और 50 मतदाता अनुमोदक होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय देखता है।
- **शपथ–** राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। (शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में मिलता है)
- **कार्यकाल–** अपने शपथ ग्रहण (पद ग्रहण) की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- **इस्तीफा–** यह अपना इस्तीफा लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करके दे सकता है। किन्तु उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी।
- राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार लड़ सकता है।

राष्ट्रपति पद का चुनाव तथा विजयी एवं द्वितीय स्थान प्राप्त उम्मीदवारों की सूची

	वर्ष	निर्वाचित प्रत्याशी	द्वितीय स्थान प्राप्त प्रत्याशी
1.	1952	राजेन्द्र प्रसाद	के. टी. शाह
2.	1957	राजेन्द्र प्रसाद	एन. एन. दास
3.	1962	राधाकृष्णन	सी. एच. राम
4.	1967	जाकिर हुसैन (मृत)	के. सुब्बाराव
5.	1969	वी. वी. गिरि (ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ)	नीलम संजीव रेड्डी
6.	1974	फखरुद्दीन अली अहमद *(कार्यकाल में मृत)*	टी. चौधरी
7.	1977	नीलम संजीव रेड्डी *(पहले ये लोक सभा अध्यक्ष भी थे)*	निर्विरोध(सर्वसम्मति से)
8.	1982	ज्ञानी जैल सिंह	एच. आर. खन्ना
9.	1987	आर. वेंकिटरमन	वी. आर. कृष्ण अय्यर
10.	1992	शंकर दयाल शर्मा	जी. जी. स्वेल
11.	1997	के आर. नारायण	टी. एन. शेषन
12.	2002	डॉ. ए.पी.जे. कलाम	लक्ष्मी सहगल
13.	2007	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	भैरो सिंह शेखावत
14.	2012	श्री प्रणव मुखर्जी	पी. ए. संगमा

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते

- संविधान के **अनुच्छेद 59** में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का वर्णन किया गया है।
- **अनुच्छेद 59** के अनुसार राष्ट्रपति को बिना किराया दिये अपने शासकीय निवासों के उपयोग का अधिकार होगा और वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे।
- अनुच्छेद 59 यह भी उपबंध करता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाये नहीं जा सकते। (वित्तीय आपात के दौरान इनका वेतन संसद के द्वारा कम किया जा सकता है)
- वर्तमान में राष्ट्रपति को 150000 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

- **अनुच्छेद 61** में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग तब चलाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो।
- महाभियोग की प्रक्रिया संसद का **कोई भी सदन** आरंभ कर सकता है। किसी भी सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस **नोटिस के जारी किये जाने के 14 दिन के पश्चात्** उसी सदन में आरोपों पर विचार होता है।
- जिस सदन में संकल्प पेश किया जाता है वही सदन अपने कुल सदस्यों के **दो तिहाई बहुमत** से ऐसे संकल्प को पारित कर दे तो महाभियोग का पहला चरण पूरा हो जाता है।
- जब संसद का पहला सदन संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोपों की जाँच करता है। दूसरा सदन जाँच या तो स्वयं करता है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से कराता है।
- राष्ट्रपति को इस जाँच में स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है।
- यदि जाँच के बाद दूसरा सदन अपनी सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प पारित किये जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है।

राष्ट्रपति के विशेषाधिकार

- राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए या अपने द्वारा किये गये किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही न होतो संस्थित की जा सकती है और न चालू रखी जा सकती है।
- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो इस पद के लिए पुनर्निर्वाचित किये गए।
- डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई।
- डॉ. एस. राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, वी.पी. गिरि, आर. बेंकटरमन, डॉ. शंकर दयाल शर्मा और के. आर. नारायणन ऐसे राष्ट्रपति हैं जा उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
- एम. हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

- राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी है। संविधान द्वारा उसे व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं जिसे निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है–
  (क) कार्यपालिका शक्तियाँ
  (ख) विधायिका शक्तियाँ
  (ग) सैनिक शक्तियाँ
  (घ) कूटनीतिक शक्तियाँ
  (ङ) न्यायिक शक्तियाँ
  (च) आपातकालीन शक्तियाँ

(क) कार्यपालिका शक्तियाँ

- संविधान में राष्ट्रपति को बृहद कार्यपालिका शक्तियाँ दी गयी हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् के अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य अनेक उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है जैसे– उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, विदेशों में भारतीय राजदूत, उच्चायुक्त तथा अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि इत्यादि।

(ख) विधायी शक्तियाँ

- राष्ट्रपति केन्द्रीय विधान मण्डल का आवश्यक अंग होता है। उसे व्यापक विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- राष्ट्रपति **लोकसभा में 2** तथा **राज्यसभा में 12 सदस्यों** को मनोनीत करता है।
- राष्ट्रपति संसद का सत्र आहत करता है। वह संसद का सत्रावसान करता है तथा लोकसभा को भंग करता है।
- राष्ट्रपति प्रत्येक **आम चुनाव के पश्चात् संसद** में **संयुक्त अधिवेशन** तथा **वर्ष के प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण** देता है, जिसमें सरकार की नीतियों की रूपरेखा निहित होती है।
- राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अथवा किसी एक सदन को अपना **संदेश भेज सकता** है।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वह कानून बन सकता है।
- **यदि कोई विधेयक धन–विधेयक नहीं है, तो** राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है लेकिन दुबारा राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। चाहे संसद ने पुनः उसी रूप में विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्यों न भेजा हो।
- कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किये जा सकते हैं जैसे धन–विधेयक नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक इत्यादि।
- जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो तो **राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद–123**

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों का होता है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल उस समय तक लागू रहता है जब तक संसद का अगला अधिवेशन आरंभ होकर छह सप्ताह न बीत जाए। यदि छह सप्ताह की अवधि के पूर्व ही संसद अध्यादेश को अस्वीकार कर लेता है तो उसका अस्तित्व उसी समय समाप्त हो जाता है।
- राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

(ग) सैनिक शक्तियाँ

- भारत का राष्ट्रपति भारत के सभी सशस्त्र रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है।

(घ) कूटनीतिक शक्तियाँ

- राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। अतः अन्य देशों में राजदूतों तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है।
- विदेशों से संधियाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किये जाते हैं।

(ङ) न्यायिक शक्तियाँ

- न्यायिक शक्तियों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- संविधान का **अनुच्छेद 72** राष्ट्रपति को सभी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिए गए व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर देने, उसके लघुकरण, प्रविलम्ब, विराम या परिहार की शक्ति प्रदान करता है।
- **राष्ट्रपति को क्षमादान** की शक्ति मृत्यु दण्डादेश के अतिरिक्त सेना न्यायालय द्वारा दिये गए दण्ड के मामलों में तथा उन सभी मामलों में प्राप्त है जिनमें दण्डादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किया गया है जिन पर संघ की शक्ति का विस्तार है।
- **अनुच्छेद 143** राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के ऐसे विषयों पर **उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकती है**, जिनमें विधि और तथ्य का प्रश्न निहित हो। परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।

(च) आपातकालीन शक्तियाँ

- संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है।
- राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपात स्थिति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है।
  1. युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा (352)– (1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इस घोषणा का अनुमोदन एक माह के अन्दर संसद के द्वारा होना अनिवार्य है अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।)
     - ➢ जब अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपात) प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलम्बित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलम्बित नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि किसी मौलिक अधिकार को निलम्बित करना हो तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करना पड़ेगा।
     - ➢ अब तक भारत में तीन बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है– (क) पहली बार 1962 ई. में (चीन के साथ युद्ध के समय), (ख) दूसरी बार 1971 ई. में (पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय), (ग) तीसरी बार 26 जून, 1975 ई. को आन्तरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था।
  2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा (अनुच्छेद 356)– इस घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अन्दर संसद द्वारा हो जाना चाहिए अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बार में इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। (अपवाद में पंजाब में 57 माह तक राष्ट्रपति शासन लगा था।)
     - ➢ भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में 1951 ई. में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
     - ➢ सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगभग 5 वर्ष तक (1987 ई. से 1992 ई. तक) लगा था।
     - ➢ जम्मू और कश्मीर में 1990 ई. से 1996 ई. के बीच लगभग 6 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा था।
     - ➢ भारत में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में (10 बार) लगा है।
  3. भारत की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा होने की स्थिति में **वित्तीय आपात** स्थिति की घोषणा (अनुच्छेद 360)– इसका अनुमोदन 2 माह के अन्दर संसद द्वारा हो जाना चाहिए। इसकी भी समय सीमा असीमित है। यह भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

- संसद द्वारा पारित अधिनियमों पर राष्ट्रपति तीन प्रकार से वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है–

  1. **आत्यंतिक वीटो** : यदि राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह अनुमति रोक लेता है तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है इसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं।

  2. **निलंबकारी वीटो** : राष्ट्रपति यदि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देता है। पुनर्विचार के लिए लौटाये जाने का प्रभाव निलंबन मात्र होता है क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित किये जाने पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अतः इसे इनलंबनकारी वीटो कहते हैं।

  3. **जेबी वीटो** : संविधान विधेयक पर राष्ट्रपति का मत व्यक्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करता। अतः राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया ही न व्यक्त करे तो इसे जेबी वीटो कहते हैं।
     - ➢ 1986 ई. में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर (संशोधन) विधेयक के मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

उपराष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति

1.	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (दो बार लगातार निर्वाचित)	1952–1962
2.	डा. जाकिर हुसैन	1962–1967
3.	वी. वी. गिरि	1967–1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969–1974
5.	बी. डी. जत्ती	1974–1979
6.	मोहम्मद हिदायतुल्ला	1979–1984
7.	आर. वेंकिटरमन	1984–1987
8.	डा. शंकर दयाल शर्मा	1987–1992
9.	के. आर. नारायणन	1992–1997
10.	कृष्ण पाल	1997–2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002–2007
12.	हामिद अंसारी (दो बार लगातार निर्वाचित)	2007–2012 2012–2017

- संविधान का **अनुच्छेद 63** उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान करता है।
- उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ रखी जाती हैं–
  1. वह भारत का नागरिक हो
  2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो
  3. वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो
  4. संसद के किसी सदन अथवा विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य न हो, और यदि वह उक्त में से किसी सदन का सदस्य हो तो उसे सदस्यता छोड़नी पड़ती है।
  5. वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो।
- उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे **निर्वाचक मण्डल** द्वारा किया जाता है, जो संसद के **दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है**।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में **राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद् के सदस्य भाग नहीं लेते।**
- जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते उपराष्ट्रपति के चुनाव में वे भी भाग लेते हैं।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों और शंकाओं का समाधान सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जा सकता है और तत्संबंधी उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।
- भारत का उपराष्ट्रपति **पाँच वर्ष की अवधि** के लिए चुना जाता है किन्तु इस अवधि के पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है।
- यदि राज्यसभा बहुमत से संकल्प पारित कर दे, जिसे लोकसभा अपने साधारण बहुमत स्वीकृत कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है।
- उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से अत्यंत सरल है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया विहित की गई है, जिसके पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा का दो–तिहाई बहुमत होना आवश्यक है, उपराष्ट्रपति को दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- जबकि राष्ट्रपति को एकमात्र संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 64** के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापित बनाया गया है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करता है।
- यदि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाये अथवा वह त्यागपत्र दे दे अथवा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा अपना पद छोड़ना पड़े अथवा अनुपस्थिति या बीमारी के कारण वह अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति ही उसके कार्यों का निर्वहन करता है।

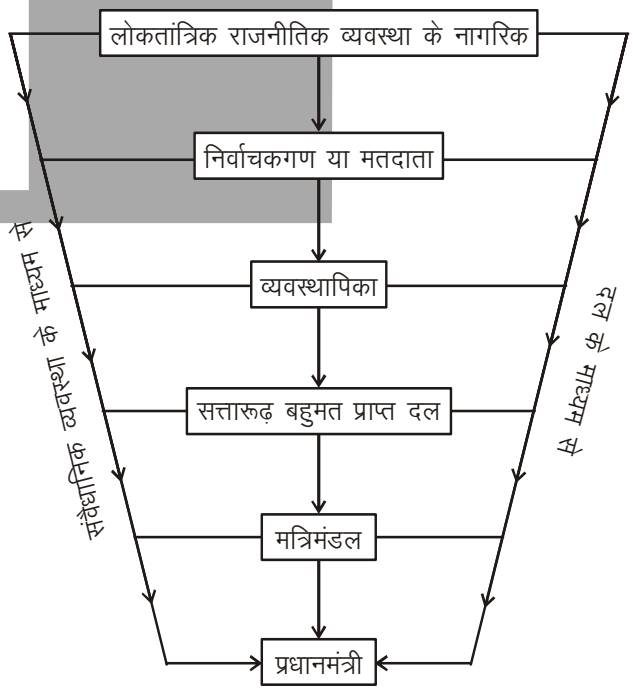

प्रधानमंत्री में शक्ति केन्द्रीकरण

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

प्रधानमंत्री

भारत के प्रधानमंत्री

1.	जवाहर लाल नेहरू	1950–1964
2.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक)	1964
3.	लाल बहादुर शास्त्री (ताशकन्द में मृत्यु)	1964–1966
4.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक)	1966
5.	इंदिरा गाँधी	1966–1977
6.	मोरार जी देसाई	1977–1979
7.	चौधरी चरण सिंह	1979–1980
8.	इंदिरा गाँधी (हत्या हो गई)	1980–1984
9.	राजीव गाँधी	1984–1989
10.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	1989–1990
11.	चन्द्रशेखर	1990–1991
12.	पी. वी. नरसिंह राव	1991–1996
13.	अटल बिहारी वाजपेयी (13 दिन तक)	1996
14.	एच. डी. देवगौड़ा	1996–1997
15.	इन्द्र कुमार गुजराल	1997–1998
16.	अटल बिहारी वाजपेयी	1998–2004
17.	मनमोहन सिंह	2004–2014

तीन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई– (1) जवाहर लाल नेहरू, (2) लाल बहादुर शास्त्री, (3) इंदिरा गाँधी।

विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके इसलिए उनकी सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 1 मत से गिर गई थी।

- भारत जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्व का होता है, क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था में वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के पास होती हैं, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 75(1)** में यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा लेकिन राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। सामान्य परम्परा यह है कि लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो राष्ट्र अपने विवेक का प्रयोग करता है। सामान्यतः वह सबसे बड़े दल के नेता को अथवा सबसे बड़े गठबंधन वाले दलों के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता हो।
- **प्रधानमंत्री के लिए वही योग्यताएँ** होनी चाहिए, जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं क्योंकि प्रधानमंत्री संसद का सदस्य और बहुमत प्रापत दल का नेता होता है।
- यह अनिवार्य नहीं है कि **प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो**। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उसे लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना नेता चुन लें।
- प्रधानमंत्री पद पर ऐसा भी व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, बशर्ते उसे लोकसभा में बहुमत प्रापत दल के सदस्य अपना नेता चुन लें लेकिन **उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है**।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रसपति तथा मंत्रिपरिषद् के बीच सेतु का कार्य कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के माँगे जाने पर अन्य सूचनाएँ भी वह उस तक पहुँचाता है।

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्

- मन्त्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा आवश्यकतानुसार अन्य मंत्री होते हैं। मन्त्रियों की संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गयी है।
- 91वाँ संशोधन के द्वारा केन्द्र में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती।
- मन्त्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री– इन **चारों श्रेणियों** के मंत्री सम्मिलित होते हैं लेकिन मन्त्रिमण्डल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही सम्मिलित होते हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल

महान्यायवादी (अनु. 76)

- महान्यायवादी भारत सरकार का **प्रथम विधि अधिकारी** होता है।
- महान्यायवादी की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है और पारिश्रमिक भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है।
- महान्यायवादी पद के लिए वही अर्हताएँ होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण कर सकता है।
- भारत का **महान्यायवादी मंत्रिपरिषद् का सदस्य नहीं होता है**, लेकिन उसे किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है।
- वह संसद के **किसी भी सदन में मत देने का अधिकारी नहीं होता है**।
- महान्यायवादी का मुख्य कार्य राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देना है।
- अपने कर्त्तव्यों के पालन में उसे देश के किसी भी **न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है**।
- भारत में महान्यायवादी का पद एक स्वतंत्र पद है, जबकि ब्रिटेन में वह वहाँ के मंत्रिमण्डल का सदस्य होता है।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(अनु. 148–151)

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148** में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।
- उसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के **बराबर** होता है जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक **6 वर्ष की अवधि** के लिए नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि इस अवधि को पूरा करने के लिए वह **65 वर्ष की आयु** का हो जाता है, तो अवकाश प्राप्त कर लेता है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को **महाभियोग** की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विरुद्ध महाभियोग लाने के दो आधार हैं– **1. साबित कदाचार** और **2. असमर्थता**
- नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक ओर संघ एवं राज्यों के समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक होता है।
- नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत एवं उसके सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि से किये जाने वाले व्यय की संपरीक्षा करता है और उन पर यह प्रतिवेदन देता है कि ऐसा व्यय विधितः किया गया है अथवा नहीं।
- वह संघ तथा राज्यों के आकस्मिक निधियों तथा सार्वजनिक लेखाओं के सभी व्ययों की भी संपरीक्षा करता है तथा उन पर अपना प्रतिवेदन देता है।
- वह संघ तथा राज्यों के सभी विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण संबंधी हानि और लाभ–हानि लेखाओं की भी संपरीक्षा कर उन पर अपना प्रतिवेदन देता है।
- उल्लेखनीय है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत की संचित निधि से निकाले जाने वाले धन पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। वह व्यय किये जा चुके धन की ही संपरीक्षा कर सकता है।

भारत की संचित निधि (अनु. 266(1))

भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न हैं–

- राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय।
- राज्य सभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते।
- सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन।
- भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
- ऐसा ऋण जिसे देने का भार भारत सरकार पर हैं
- भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिग्री या पंचाट।
- कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें।

भारत की आकस्मिकता निधि 267 संविधान का अनु. 267 संसद और राज्य विधान मंडल को अपनी स्थिति के अनुसार भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है।

यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यय के लिये बनायी गयी है।

संघीय विधान मंडल

- भारत में केन्द्रीय विधायिका के दो सदन हैं 1. **राज्य सभा** और 2. **लोकसभा**
- राज्यसभा को द्वितीय और उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा प्रथम और निम्न सदन है।
- इसके अतिरिक्त **राष्ट्रपति भी केन्द्रीय विधायिका का अंग** होता है।

Parliament = Rajya Sabha + Lok Sabha + President

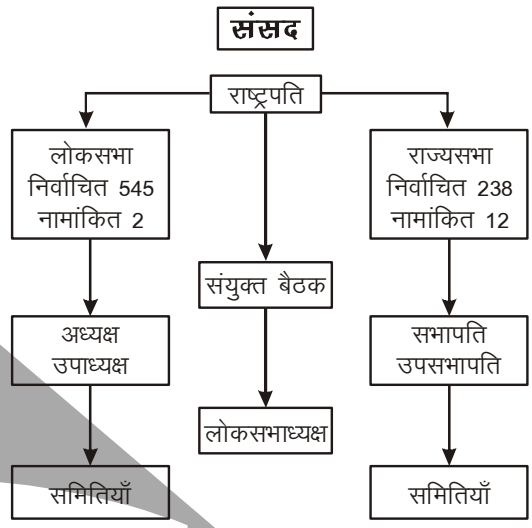

संसद : राज्यसभा

	राज्य	स्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	तमिलनाडु	18
3.	मध्य प्रदेश	11
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	पश्चिम बंगाल	16
6.	उड़ीसा	10
7.	राजस्थान	10
8.	असम	7
9.	बिहार	16
10.	झारखण्ड	6
11.	गोवा	1
12.	गुजरात	11
13.	हरियाणा	5
14.	केरल	9
15.	महाराष्ट्र	19
16.	कर्नाटक	12
17.	पंजाब	7
18.	उत्तर प्रदेश	31
19.	उत्तराखण्ड	3
20.	जम्मू और कश्मीर	4
21.	नागालैण्ड	1
22.	हिमांचल प्रदेश	3
23.	मणिपुर	1
24.	त्रिपुरा	1
25.	मेघालय	1
26.	सिक्किम	1
27.	मिजोरम	1
28.	अरुणाचल प्रदेश	1
29.	पांडीचेरी	1
30.	संघ शासित प्रदेश दिल्ली में	3

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। धनिको की सभा।
- संविधान के **अनुच्छेद 80** के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की **अधिकतम संख्या 250 (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत) हो सकती है परन्तु वर्तमान में यह संख्या 245 (233+12)** है।
- इनमें **12 सदस्य** राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें **कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा** के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। शेष सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से MLA द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनके चुनाव विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

सदस्यों की योग्यताएं :

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी आयु **30 वर्ष** से कम न हो।
- वह किसी लाभ के पद पर न हो, विकृत मस्तिष्क का या दिवालिया न हो।
- ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाएं।
- राज्य सभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो।

कार्यकाल :

- राज्यसभा एक स्थायी सदन हैं यह कभी भंग नहीं होता बल्कि इसके एक–तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल **6 वर्ष** का होता है।

पदाधिकारी :

- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का **पदेन सभापति** होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में **उपसभापति** सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।
- उपसभापति को राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है।

राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियाँ :

- संविधान संशोधन की शक्ति
- राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं।
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा न्य कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है।
- राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है।
- एक माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से पारित होना आवश्यक है।
- **राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार–** संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत स यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में कानून बनाये, तो संसद को उस विषय के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार बनाया गया कानून केवल एक वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है परन्तु राज्यसभा पुनः संकल्प पारित करके एक वर्ष के समय को और एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है तथा बार बार संकल्प पारित करके इस अवधि को असीमित कर सकती है। राज्यसभा ने इस अधिकार का अब तक दो बार प्रयोग किया है–

  (क) 1952 में– 1952 में राज्यसभा ने संकल्प पारित करके संसद को व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दिया था।

  (ख) 1986 में– 1986 में राज्यसभा ने संकल्प पारित करके संसद को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुरक्षा क्षे की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार दिया था।
- **अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था–** संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है संसद संघ और राज्यसभा के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे तो संसद को ऐसा अधिकार मिल जाता है। इस शक्ति का प्रयोग करके राज्यसभा ने निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया है–

  (क) 1961 में– भारतीय इन्जीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा

  (ख) 1965 में– भारतीय कृषि सेवा तथा भारतीय शिक्षा सेवा।

लोकसभा

	राज्य	स्थान	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	42	6	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	–	–
3.	असम	14	1	2
4.	बिहार	40	6	2
5.	झारखण्ड	14	1	5
6.	गोवा	2	–	–
7.	गुजरात	26	2	4
8.	हरियाणा	10	2	–
9.	हिमांचल प्रदेश	4	1	–
10.	जम्मू–कश्मीर	6	–	–
11.	कर्नाटक	28	4	–
12.	केरल	20	2	–
13.	मध्य प्रदेश	29	4	6
14.	छत्तीसगढ़	11	1	4
15.	महाराष्ट्र	48	3	4
16.	मणिपुर	2	–	1
17.	मेघालय	2	–	–
18.	मिजोरम	1	–	1
19.	नागालैण्ड	1	–	–
20.	उड़ीसा	21	3	5
21.	पंजाब	13	3	–
22.	राजस्थान	25	4	3
23.	सिक्किम	1	–	–
24.	तमिलनाडु	39	7	–
25.	त्रिपुरा	2	–	1
26.	उत्तर प्रदेश	80	17	–
27.	उत्तराखण्ड	5	1	–
28.	पश्चिमी बंगाल	42	8	2

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

		संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान तथा निकोबार	1	–	–
2.	चंडीगढ़	1	–	1
3.	दादरा और नागर हवेली	1	–	–
4.	दिल्ली	7	1	–
5.	दमन और दीव	1	–	–
6.	लक्षद्वीप	1	–	1
7.	पाण्डिचेरी	1	–	–

- संघीय संसद का **निम्न अथवा लोकप्रिय** सदन है।
- लोकसभा की अधिकतम सदस्य **संख्या (530 + 20 + 2) = 552** हो सकती है। वर्तमान में इसकी **व्यावहारिक सदस्य संख्या (530 + 13 + 2) = 545** है।
- 91वाँ संशोधन (2003)– कैबिनेट का आकार 15% होगा (सदन का)। 1/3 सदस्य से कम यदि दल–बदल करेंगे तो सदस्यता समाप्त होगी। 12 से कम नहीं होगी।
- 84वाँ संशोधन (2000)– लोकसभा क्षेत्रों का आबंटन 2026 तक यथावत रहेगा।

निर्वाचकों की योग्यताएं :

- लोकसभा के चुनाव में उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक हैं, (61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार) जिनकी **आयु 18 वर्ष** (इससे पहले यह आयु 21 वर्ष थी) या अधिक है, जो पागल या दिवालिया नहीं है और जिन्हें संसद के कानून द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर–कानूनी व्यवहार के कारा मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया है।
- **संसद के विपक्षी दल–** संसदीय लोकतन्त्र में विपक्ष का विशिष्ट महत्व है। यह सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना कर वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करता है तथास जनतंत्र को सुरक्षित रखता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से ही भारत में कई दल थे, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सत्ताधारी दल (कांग्रेस) तथा विपक्षी दल (अन्य दल) के रूप में विभाजित हो गये। प्रथम आम चुनाव (1952) के पहले कुछ नये दलों का गठन हुआ, जिनमें से कुछ तो कांग्रेस से ही अलग होकर गठित किये गये थे और नये दल के रूप में जनसंघ अस्तित्व में आया था। लेकिन चुनाव में विपक्षी दल नगण्य ही रहे और 1969 के पहले किसी भी नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं मिली। यहां यह उल्लेखनीय है कि विपक्ष के नेता के रूप में उस दल के नेता को मान्यता मिलती है, जिस दल की सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्यों के दसवें भाग के बराबर होती है। सबसे पहले 1969 में संगठन कांग्रेस के राम सुीाग सिंह को लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली और इसके बाद 1977 में कांग्रेस के यशवंत राव बलवन्त राव चव्हाण को लोकसभा में तथा कमलापति त्रिपाठी को राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता दी गयी। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ, फलस्वरूप सी. एम. स्टीफन विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में प्रतिस्थापित किये गये। 1979 में जब चरण सिंह को कांग्रेस (आई.) ने अपना समर्थन देकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन करवाया, तब लोकसभा में जगजीवन राम विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त किये। 1980 के चुनाव तथा 1984 के चुनाव में किसी भी विरोधी राजनीतिक दल को इतना सीान प्राप्त नहीं हुआ कि उसके नेता को विपक्ष का नेता माना जाय। 1989 के आम चुनाव में राजीव गांधी तथा बाद में लालकृष्ण आडवानी विपक्ष के नेता बने। 1991 के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त किये हुए हैं।
- राज्यसभा में अब तक जिन नेताओं को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी गयी है, वे हैं– 1. कमला पति त्रिपाठी (कांग्रेस), 2. पी. शिवशंकर (कांग्रेस), 3. एस. जयपाल रेड्डी (जनता दल) तथा 4. सिकन्दर बख्त (भारतीय जनता पार्टी)

सदस्यों की योग्यताएँ :

- वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो।
- उसकी **आयु 25 वर्ष** या इससे अधिक हो।
- भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हुए हों।
- वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो तथा पागल न हो। वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो।
- संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ हों।

कार्यकाल :

- लोकसभा का **कार्यकाल 5 वर्ष** है किन्तु प्रधानमन्त्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है।
- संकटकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो **एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।**
- यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है और दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है, तो वह अपने चुने जाने की तिथि से 10 दिन के अन्दर आयोग के सचिव को लिखित सूचना देगा कि वह किस सदन का सदस्य बना रहना चाहता है। जिस सदन का वह सदस्य बना रहना चाहता है, उसके अतिरिक्त दूसरे सदन का उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति चुनाव आयोग के सचिव को ऐसी सूचना नहीं देता, तो उसका राज्यसभा का स्थान स्वतः 10 दिन बाद समाप्त हो जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधानमण्डल में से किसी के लिए एक स्थान से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से 14 दिन के अन्तर्गत त्यागपत्र दे देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके सभी स्थान स्वतः रिक्त हो जायेंगे।

अधिवेशन :

- लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।
- **संसद के सदनों में गणपूर्ति–** संसद के सदनों को कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के दसवें भाग $\left(\frac{1}{10}\right)$ का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। यदि किसी समय संसद के किसी सदन की गणपूर्ति नहीं होती, तो अध्यक्ष या सभापति तग तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, जब तक सदन की गणपूर्ति न हो जाये।
- कुल वैध मतों का 1/6 मत जमानत बचाने के लिए पाना अनिवार्य है।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

पदाधिकारी :

- लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों से **एक अध्यक्ष** और **एक उपाध्यक्ष** का निर्वाचन करेगी। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात् समय से पूर्व भंग न होने की स्थिति में **5 वर्ष** होता है परन्तु इस अवधि के अन्दर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष स्वेच्छा से अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं तथा उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है।
- अब तक विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में संसद की संयुक्त बैठक में तीन बार विधेयक, यथा दहेज प्रतिषेध विशेयक 1961, बैंककारी सेवक आयोग (निरसन) विधेयक, 1978 तथा 2002 ई. में पोटा (POTA) पारित किये गये हैं।
- धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को विधेयक भेजा जाता है, तब उसके साथ लोकसभाध्यक्ष का यह प्रमाणपत्र संलग्न होता है कि वह विधेयक धन विधेयक ही है। लोकसभाध्यक्ष को ही यह निर्णीत करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं राज्यसभा को धन विधेयक के सम्बन्ध में बहुत कम अधिकार हैं। राज्यसभा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती लेकिन उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिश दे सकती है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या न करे। यदि लोकसभा, राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है, तो दोनों स्थिति में विधेयक को पारित किया गया माना जाएगा। उसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहां 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोकती है, तो विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा, जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था।
- **विनियोग विधेयक–** संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देती है। इस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इस विधेयक पर विचार–विमर्श केवल उन्हीं मदों तक सीमित होता है, जिन्हें अनुदानों और आगणनों के विचार–विमर्श में शामिल न किया गया हो। विनियोग विधेयक के पूर्व लोकसभा ने जिन अनुदानों को स्वीकार कर लिया हो। उन पर न तो कोई–संशोधन पेश किया जा सकता है और न ही अनुदान के लक्ष्य को बदला जा सकता है तथा न ही उस धनराशि में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी अदायगी भारत की संचित निधि से की जानी होगी। लोकसभा द्वारा विधेयक को पारित किये जाने पर इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा विनियोग विधेयक को अपने यहां 14 दिनों से अधिक रोक नहीं सकती और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है लेकिन सिफारिश कर सकती है, किन्तु यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या न करे। इसके बाद विधेयक को पारित मान करके राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।
- कार्यकारी अध्यक्ष (Protem Speaker)– शपथ हेतु वरिष्ठ सदस्य।
- प्रथम लोकसभाध्यक्ष – गणेश वासुदेव मावलंकर (1952–56)

लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य :

- संविधान संशोधन सम्बन्धी शक्ति।
- लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है।
- राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति को पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है।
- राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकाल की घोषणा को एक माह के अन्दर संसद से स्वीकृत होना आवश्यक है।

संसदीय प्रस्ताव

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव : अध्यक्ष की अनुमति से जब कोई संसद सदस्य किसी मन्त्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यावश्यक विषय की ओर आकर्षित करता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं।

विशेषाधिकार प्रस्ताव : यदि किसी मंत्री ने तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है तो संसद सदस्य मंत्री के विरुद्ध 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' रख सकते हैं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव : जब कोई विशेष घटना घटित हो या देश में कोई विशेष स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संसद सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि सदन की वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर इस विशेष घटना, स्थिति या प्रश्नपर विचार किया जाना चाहिए। इसे ही कार्य स्थगन प्रस्ताव कहते हैं।

कटौती प्रस्ताव : बजट की माँगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को **'कटौती प्रस्ताव'** कहते हैं। इस प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति देना अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

निन्दा प्रस्ताव : शासन या किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनायी गई नीति या उसके कार्यों की आलोचना करने के लिए 'निन्दा प्रस्ताव' लाया जाता है।

अविश्वास प्रस्ताव : अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्षी दल या दलों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि लोकसभा के कम–से–कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो अध्यक्ष उसे विचार हेतु स्वीकार करते हैं। यदि लोकसभा अपने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मन्त्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना होता है।

संसद के सत्र, स्थगन, सत्रावसान तथा विघटन

संविधान के **अनुच्छेद–85** के अधीन राष्ट्रपति को समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करने, उसका सत्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है।

संसद के सत्र :

- राष्ट्रपति समय–समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करता है लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार, एक वर्ष में दो बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद का अधिवेशन बुलाता है।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

सामान्यतया वर्ष में तीन सत्र होते हैं–

1. **बजट सत्र** (फरवरी–मई)
2. **वर्षाकालीन सत्र** (जुलाई–सितंबर)
3. **शीतकालीन सत्र** (नवम्बर–दिसम्बर)

- **संसद का सत्रावसान** : सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। **संसद के किसी विशेष सत्र को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है।** उल्लेखनीय है कि सदन के सत्रावसान के परिणामस्वरूप उसमें लम्बित विधेयक के कार्य समाप्त नहीं होते हैं।
- **संसद का विघटन** : विघटन सदन की **कालावधि को ही समाप्त कर देता है।** इसके बाद नये लोकसभा के गठन के लिए निर्वाचनहोना आवश्यक हो जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह से ही विघटन करता है। ध्यान रहे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है इसलिए उसका विघटन नहीं हो सकता।
- **लोकसभा के विघटन का प्रभाव** : जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो–
  - लोकसभा में लम्बित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं।
  - राज्यसभा में लम्बित विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, समाप्त हो जाते हैं।
  - राज्यसभा में लम्बित विधेयक, जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, समाप्त नहीं होंगे, यदि राष्ट्रपति यह घोषणा कर दे कि इस विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी।

संसद में सामान्य प्रक्रिया

प्रश्नकाल : आमतौर पर प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का प्रथम घण्टा (11 से 12 बजे) प्रश्नकाल होता है। इस काल में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी बातों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्तकी जा सकती है।

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं–

(1) **तारांकित प्रश्न** द्वारा सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है।

(2) **अतारांकित प्रश्न** की स्थिति में सम्बद्ध मंत्री द्वारा सदन के पटल पर लिखित उत्तर रखा जाता है।

(3) **अल्प सूचना प्रश्न** का सम्बन्ध लोक महत्व के किसी तात्कालिक मामले से होता है जो किसी प्रश्न के लिए निर्धारित समय की सूचना के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जा सकता है।

शून्यकाल : सामान्यतः प्रश्नकाल के बाद लगभग 1 घण्टे का समय (12 से 1 बजे) 'शून्यकाल' के रूप में रखा जाता है। इस समय में 'विचार के लिए विषय' पहले से निर्धारित नहीं होता। इस समय में बिना पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरन्त विचार आवश्यक समझा जाए। यह नाम समाचार–पत्रों द्वारा दिया गया है।

सामूहिक उत्तरदायित्व : अनु. 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब उसे निम्न सदन अर्थात लोक सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।

अविश्वास प्रस्ताव : अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जता है। प्रस्ताव पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के 10 दिन के अन्दर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा घोषणा करता है।

अध्यादेश : राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल संसद अथवा विधान मंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश को 6 सप्ताह से ज्यादा लागू होने के लिये जब संसद या विधान मण्डल फिर से अस्तित्व में आती है तो उसे इसे 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश का अनुमोदन करना आवश्यक है।

बैक बेंचर (Back Bencher) : सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल, के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वालों को ही बैंक बेंचर कहा जाता है।

न्यायिक पुनर्विलोकन : भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधान मंडल द्वारा पारित की गयी विधियाँ अथवा कार्यपालिका द्वारा दिये गये आदेश संविधान के विरोध में हैं तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं।

अनुपूरक अनुदान : यदि विनियोग द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एवं अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवायेगा। अनुपूरक अनुदान औरविनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।

लेखानुदान : जैसा की हमें पता है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिये 116(क) के अन्तर्गत लोक सभा लेखा अनुदान (Vote on account) पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है।

अधिक अनुदान : जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गयी रकम से कोई धन व्यय हो गया हे तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक अनुदान की मांग रखता है।

गणपूर्ति (Chuorum) : सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग होती है बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजायी जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ती हो जाती है।

प्रश्नकाल : दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ के एक घण्टे तक प्रश्न किये जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। इसे प्रश्न काल कहा जाता है। प्रश्न काल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना का समय मिल जाता है। इसके दो लाभ हैं– एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है। दूसरे इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

संसद की समितियाँ

सार्वजनिक लोक लेखा समिति

- **सार्वजनिक लेखा समिति** का गठन प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र में किया जाता है।
- इस समिति का मुख्य कार्य देश के वित्तीय मामलों से संबंधित अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा कार्य संचालन की त्रुटियों की जाँच करना है।
- सार्वजनिक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, विपक्षी यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इसका सदस्य होता है, तो वहीं इसका अध्यक्ष होता है।
- **लोक लेखा समिति** : प्राक्कलन समिति की 'जुड़वा बहन' के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के सदस्यों द्वारा तथा 7 सदस्य राज्य सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1967 से स्थापित प्रथा के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है।

प्राक्कलन समिति

- **लोकसभा की प्राक्कलन समिति** : इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता। यह सबसे बड़ी समिति होती है।
- प्राक्कलन समिति एकमात्र लोकसभा की समिति होती है और इसमें राज्य सभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते।
- इस समिति के सभापति की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
- यह समिति मितव्ययिता, कार्यकुशलता तथा सांगठनिक सुधार के बारे में अपनी रिपोर्ट देती है।
- इस समिति का मुख्य कार्य नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा करना है।
- **लेखानुदान** : विनियोग विधेयक को पारित करने के पहले जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से सरकार के व्यय के लिए अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करती है।

विशेषाधिकार समिति

- इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं।
- सदस्यों की नियुक्ति लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री भी इस समिति में सम्मिलित किये जाते हैं।
- इस समिति का मुख्य कार्य विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जाँच करना है।

अन्तर्राज्य परिषद

- संविधान के अनु. 263 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच समतय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है।
- पहली बार जून, 1990 ई. में अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना की गई जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 ई. को हुयी।
- इसमें निम्न सदस्य होते हैं– प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक।
- अन्तर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में तीन बार की जायेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसकी अनुपस्थिति में प्रधानंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है।

वित्त आयोग

- संविधान के अनु. 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।
- वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त यि जाते हैं।

नोट : पहला वित्त आयोग 1951 ई. में गठित किया गया था इसके अध्यक्ष के. सी. नियोगी।

लोक सेवा आयोग

- भारत में सन् 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 इ. में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी लोक सेवा आयोग की स्थापनाक`लिए 1924 ई. में विधि आयोग ने सिफारिश की थी।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है वर्तमान में इसकी संख्या 10 है।

न्यायपालिका (Judiciary)

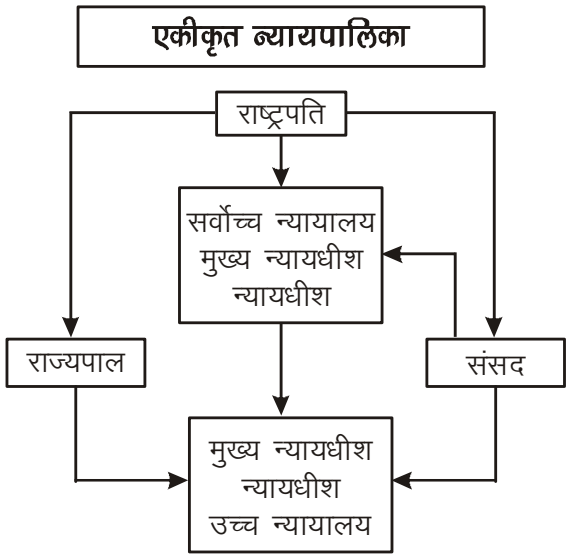

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

	न्यायाधीश	कार्यकाल
1.	हीरालाल जे. कानिया	26-01-1950 से 06-11-1951
2.	एम. पतंजलि शास्त्री	1951–1954
3.	मेहर चन्द्र महाजन	1954
4.	बी. के. मुखर्जी	1954–1956
5.	एस. आर. दास	1956–1959
6.	भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1959–1964
7.	पी. वी. गजेन्द्र गणकर	1964–1966
8.	ए. के. सरकार	1966
9.	के. सुब्बाराव	1966–1967
10.	के. एन. वान्चू	1967–1968
11.	मोहम्मद हिदायतुल्ला	1968–1970
12.	जे. सी. साह	1970–1971
13.	एस. एम. सीकरी	1971–1973
14.	अजीत नाथ रे	1973–1977
15.	एम. एच. बेग	1977–1978
16.	वाई. वी. चन्द्रचूड़	1978–1985
17.	पी. एन. भगवती	1985–1986
18.	आर. एस. पाठक	1986–1989
19.	ई. एस. वेंकट रमन	1989
20.	सव्यसांची मुखर्जी	1989–1990
21.	रंगनाथ मिश्रा (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष)	1990–1991
22.	के. एन. सिंह	1991
23.	एम. एच. कानिया	1991–1992
24.	ललित मोहन शर्मा	1992–1993
25.	एम. एन. वेंकट चलैया	1993–1994
26.	ए. एम. अहमदी	1994–1997
27.	जगदीश प्रसाद वर्मा	1997–1998
28.	मदन मोहन पुंछी	1998
29.	आदर्श सेन आनन्द	1998–2001
30.	एस. पी. भरूचा	2001–2002
31.	वी. एन. कृपाल	6 मई, 2002 से 7 नवम्बर 2002
32.	गोपाल बल्लभ पटनायक	8 नवम्बर, 2002 से दिस. 2010
33.	वी. एन. खरे	2002–2004
34.	एस. आर. बाबू	2004
35.	आर. सी. लाहोटी	2004–2005
36.	यो. कु. सभरवाल	2005–2007
37.	के. जी. बालाकृष्णन	2007–2010
38.	एस. एच. कपाड़िया	2010–2012
39.	अल्तमस कबीर	2012 से अब तक

- यद्यपि भारत एक संघात्मक राज्य है तथापि यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है।
- जबकि भारत में सघात्मक व्यवस्था के अनुरुप केन्द्र और राज्य के लिए अलग–अलग कार्यपालिका और विधानमण्डल हैं और संविधान में उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विषय में इस तरह का विभाजन नहीं किया गया है।
- भारत में अमरीका आदि देशों की भाँति केन्द्र और राज्यों के लिए अलग–अलग न्यायालय नहीं हैं और ना ही विभिन्न न्यायालयों के बीच शक्तियों का बँटवारा किया गया है।
- भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिट की भाँति है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। प्रत्येक ऊपरी न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। अतः हमारी न्याय व्यवस्था एकात्मक है।
- संरचना के विषय में भारतीय न्यायपालिकाा ब्रिटिश न्यायपालिका के समान है, जबकि शक्तियों के विषय में यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायपालिका के समान है।
- ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तथा USA में संविधान।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

- संविधान के **अनुच्छेद 124–147** में केन्द्रीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान हैं।

न्यायाधीशों की संख्या :

- प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में **1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7** अन्य न्यायाधीश थे। 1 + 7
- **1985** में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की **संख्या बढ़ाकर 25** कर दी गई। 25 + 1
- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्ययाधीशों की कुल संख्या **26 से बढ़ाकर 31** कर दी गई है। 30 + 1
- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में **बढ़ोत्तरी या कमी करने की शक्ति केन्द्रीय संसद् में निहित है।**
- यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय में **तदर्थ न्यायाधीशों** (Adhoc Judges) की नियुक्ति भी कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति :

- राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 'चार वरिष्ठम न्यायाधीशों के समूह' से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ :

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम–से–कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

कार्यकाल तथा महाभियोग :

- **साधारणत :** सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है।
- इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है।
- वी. रामस्वामी पर 1992 में महाभियोग नहीं पारित हो सका था।
- सौमित्रसेन (कलकत्ता हाईकोर्ट) पर 7 नवम्बर, 2010 को महाभियोग प्रस्ताव आया।
- पी. वी. दिनकरन (सिक्किम हाईकोर्ट) पर 2011 में महाभियोग प्रस्ताव आया।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएँ :

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रुपये प्रति माह व अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी है। उन्हें वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिये जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार : इसका आशय उन विवादों से है, जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसके अन्तर्गत निम्न विषय आते हैं–

(i) भारत सरकार तथा एक या एक सह अधिक राज्यों के बीच विवाद (ii) भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद (iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के सम्बन्ध में उत्पन्न कोई विवाद।

अपीलीय क्षेत्राधिकार : सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार है।

- अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार
- पुनर्विचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार
- परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार
- अभिलेख न्यायालय
- मौलिक अधिकारों का रक्षक
- न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन

समीक्षा की शक्ति

- अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।
- उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय अथवा आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है।

अभिलेख न्यायालय

- संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है।
- अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से होता है जिसके निर्णय और कार्यवाहियाँ लिखी जाती हैं। भविष्य में इन्हें किसी भी न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही इसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय

न्यायाधीशों की नियुक्ति :

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।
- **मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति** में सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही राष्ट्रपति को परामर्श देंगे।
- इस समय भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलवाता है।

विशिष्ट उच्च न्यायालय

- देश में कुल 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तक विस्तृत है–
  1. **कलकत्ता उच्च न्यायालय (1862 ई.) :** पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।
  2. **बम्बई उच्च न्यायालय (1862 ई.) :** महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीव, दादरा और नागर हवेली।
  3. **मद्रास उच्च न्यायालय (1862 ई.) :** तमिलनाडु और पांडिचेरी।
  4. **केरल उच्च न्यायालय (1958 ई.) :** केरल और लक्षद्वीप समूह।
  5. **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (1975 ई.) :** पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़।
  6. **गोहाटी उच्च न्यायालय (1948 ई.) :** असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड और अरुणाचल प्रदेश।

- **इलाहाबाद उच्च न्यायालय (1866 ई.) :** मुख्य पीठ इलाहाबाद और खण्डपीठ लखनऊ।
- **आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1954 ई.) :** मुख्य पीठ हैदराबाद।
- **गुजरात उच्च न्यायालय (1960 ई.) :** मुख्य पीठ अहमदाबाद।
- **हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय (1971 ई.) :** मुख्य पीठ शिमला।
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय (1884 ई.) :** मुख्य पीठ बंगलौर।
- **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (1956 ई.) :** मुख्य पीठ जबलपुर और खण्डपीठ ग्वालियर तथा इन्दौर में।
- **उड़ीसा उच्च न्यायालय (1948 ई.) :** मुख्य पीठ कटक।
- **पटना उच्च न्यायालय (1916 ई.) :** मुख्य पीठ पटना।
- **राजस्थान उच्च न्यायालय (1949 ई.) :** मुख्य पीठ जोधपुर और खण्डपीठ जयपुर।
- **जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय (1928 ई.) :** मुख्य पीठ श्रीनगर और खण्डपीठ जम्मू।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय (1966 ई.) :** मुख्य पीठ दिल्ली।
- **सिक्किम उच्च न्यायालय (1975 ई.) :** मुख्य पीठ गंगटोक।

न्यायाधीशों की योग्यताएँ :

- वह भारत का नागरिक हो।
- **वह कम–से–कम 10 वर्ष** तक भारत के किसी क्षेत्र में **न्याय सम्बन्धी पद पर कार्य** कर चुका हो अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार **10 वर्ष तक अधिवक्ता** रह चुका हो।

वेतन एवं भत्ते :

- वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को **90,000 रुपए प्रति माह** तथा अन्य न्यायाधीशों को **80,000 रुपए प्रति माह** वेतन प्राप्त होता है। यह वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है किन्तु उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है।
- न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी की गई है।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

कार्यकाल :

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल **62 वर्ष** की आयु तक निश्चित किया गया है परन्तु इससे पूर्व वह स्वयं पद का त्याग कर सकता है।
- न्यायधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध :

- संविधान के **अनुच्छेद 220** के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पदनिवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है।
- किन्तु वह अन्य उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ तथा अधिकार क्षेत्र :

- (1) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र, (2) अपीलीय क्षेत्राधिकार, (3) लेख जारी करने का अधिकार, (4) न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, (5) अभिलेख न्यायालय के रूप में (6) प्रशासनिक शक्तियाँ, (7) संविधान के रक्षक के रूप में कार्य।

अधीनस्थ न्यायालय :

- उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में तीन प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं–
  (1) दीवानी न्यायालय, (2) फौजदारी न्यायालय और (3) राजस्व न्यायालय।
- न्यायिक प्रशासन के लिए राज्यों को विभिन्न जिलों में बाँटा गया है।
- उन्हीं व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो अथवा संघ सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो।
- जिला न्यायाधीश को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अधिकारिता प्राप्त होती है।
- जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पर सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश और जब फौजदारी मामलों में सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है।
- जिला न्यायाधीश के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के अन्य अनेक न्यायिक अधिकारी होते हैं जैसे– उपन्यायाधीश, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट इत्यादि।

जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किया जाता है।

राज्य कार्यपालिका

- भारत में तीन स्तर पर सरकारें कार्य करती हैं– एक केन्द्र की सरकार, दूसरी राज्य सरकार तथा तीसरी स्थानीय सरकार।
- राज्य सरकारें भी केन्द्र के ही अनुरूप गठित की जाती हैं। जिस प्रकार केन्द्र सरकार का औपचारिक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और व्यवहारिक वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में विहित होती हैं, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य सरकारों का औपचारिक, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक शक्तियाँ राज्य मंत्रिपरिषद् के पास होती हैं, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

राज्यपाल (अनु. 153–167)

- राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का **वैधानिक** प्रधान होता है। मन्त्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की **वास्तविक** प्रधान होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

योग्यताएं :

- वह भारत का नागरिक हो।
- उसकी आयु कम–से–कम **35 वर्ष** हो।
- उसे विधानसभा के सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए।
- उसे लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति (अनु. 155) :

- राज्यपाल की **नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा** की जाती है। संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। अतः राज्यपाल पद के सम्बन्ध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया है।

शपथ :

- राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है।

कार्यकाल (अनु. 156) :

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रह सकता है। परम्परा रूप में उसकी पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।

वेतन :

- राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रु. प्रतिमाह है। यदि वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद का निर्वहन कर रहा है तो उसके वेतन को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ :

- वह **मुख्यमंत्री की नियुक्ति** करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- वह व्यवस्थापिका का **अधिवेशन बुलाता**, स्थगित करता ओर व्यवस्थापिका के निम्न सदन 'विधानसभा' को भंग कर सकता है।
- वह विधानमण्डल की **पहली बैठक** को सम्बोधित करता है ओर उसके बाद भी वह विधानमण्डल को सन्देश भेज सकता है।
- राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा सकता है। यदि विधानमण्डल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- यदि राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो, तो राज्यपाल **अध्यादेश जारी कर सकता है**। (अनु. **213**) यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक प्रारम्भ होने के छः सप्ताह बाद तक लागू रहता है। यदि छः सप्ताह पूर्व ही विधानमण्डल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जायेगा।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- जिन राज्यों में विधान परिषद् भी है वहाँ का राज्यपाल **विधानपरिषद् के 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों** में से नामजद करता है जिन्हें **साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन** तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो।
- राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है ओर उकसी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है।
- जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों सम्बन्धी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को राज्यपाल कम कर सकता, स्थगित कर सकता, बदल सकता या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है।
- अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता के सम्बन्ध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

मुख्यमन्त्री

- मुख्यमन्त्री ही राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है।

मुख्यमन्त्री की नियुक्ति :

- संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमयन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता है।

राज्य विधानमंडल

राज्य विधान मंडल
- राज्यपाल
- विधान सभा (निम्न सदन)
- विधान परिषद (उच्च सदन)

- संविधान के **अनुच्छेद 168** में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है जो राज्यपाल तथा एक या दो सदनों को मिलाकर बनता है।
- वर्तमान समय में सिर्फ छह राज्यों में ही दो सदनों की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार
- राज्य विधानमंडल के ये दो सदन हैं–
  1. **विधानसभा** और
  2. **विधान परिषद्**

विधानसभा

	राज्य	स्थान	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	294	39	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	–	39
3.	असम	126	8	16
4.	बिहार	243	48	28
5.	झारखण्ड	81	–	–
6.	गोवा	40	1	–
7.	गुजरात	182	13	26
8.	हरियाणा	90	17	–
9.	हिमांचल प्रदेश	68	16	3
10.	जम्मू कश्मीर	100	6	–
11.	कर्नाटक	224	33	2
12.	केरल	110	13	1
13.	मध्य प्रदेश	230	44	75
14.	छत्तीसगढ़	90	–	–
15.	महाराष्ट्र	288	18	22
16.	मणिपुर	60	–	19
17.	मेंघालय	60	–	59
18.	मिजोरम	40	–	39
19.	नागालैंड	60	–	59
20.	उड़ीसा	147	22	34
21.	पंजाब	117	29	–
22.	राजस्थान	200	33	24
23.	सिक्किम	32	2	12
24.	तमिलनाडु	234	43	3
25.	त्रिपुरा	60	7	17
26.	उत्तर प्रदेश	403	92	1
27.	उत्तरांचल (उत्तराखण्ड)	70	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	294	59	17
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	पाण्डिचेरी	30	5	–
2.	दिल्ली	70	–	–

नोट : जम्मू–कश्मीर में विधान सभा सदस्यों की संख्या 100 है, लेकिन 24 चुनाव क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में हैं।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

रचना :

- विधानसभा एक जनप्रतिनिधि सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता द्वारा किया जाता है।
- किसी राज्य की विधानसभा में **अधिकतम 500** और **न्यूनतम 60 सदस्य** हो सकते हैं। सिक्किम (32), गोवा (40), और मिजोरम (40) की विधान सभा में इससे कम की संख्या नहीं हो सकती।
- **सबसे अधिक** सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है जबकि सिक्किम विधानसभा के सदस्यों की संख्या **सबसे कम** है।
- राज्यपाल के मत में यदि **आंग्ल भारतीय समुदाय** के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय को एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनित कर सकता है।
- विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति–
  1. भारत का नागरिक हो
  2. कम से कम **25 वर्ष की आयु** का हो
  3. भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद न धारण किया हो।
  4. विकृतचित्त अथवा दिवालिया न हो
- कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक विधानमंडलों का सदस्य नहीं हो सकता है।
- राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना **60 दिन तक अधिवेशनों से दूर रहता है**, तो सदन द्वारा उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है।

अवधि :

- **विधानसभा** की अवधि उसकी पहली बैठक से लेकर **5 वर्षों** तक की होती है।
- आपातकाल में विधानसभा की अवधि **एक वर्ष के लिए** बढ़ायी जा सकती है किन्तु आपातकाल की **समाप्ति के पश्चात् किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती।**
- जम्मू–कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। वहाँ की विधानसभा में राज्यपाल 2 महिलाओं का मनोनयन करता है।

विधानसभा के पदाधिकारी

- लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भाँति राज्य विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं।
- **अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है।
- वे त्यागपत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक–दूसरे को देते हैं।
- यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाये जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है।
- ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए **14 दिन** पहले सूचना देना आवश्यक होता है।
- जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा होता है तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।
- विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता, अपितु नयी विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिये जाने तक वह अपने पद पर बना रहता है।
- अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना होता है।
- सदन में किसी मसले पर वाद–विवाद के दौरान वह **व्यवस्था बनाये रखता** है तथा सदन के नियमों की व्याख्या करता है।
- सदन में पेश किया गया **विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसे प्रमाणित करने** की शक्ति अध्यक्ष के ही पास होता है।
- अध्यक्ष की **अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता** की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो जाये तो सदन द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

विधान परिषद्

रचना :

- किसी राज्य में विधान परिषद् की स्थापना अथवा उसके उत्पादन का दायित्व राज्य की विधानसभा पर छोड़ा गया है।
- यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दे तो संसद विधि बनाकर उस राज्य में विधान परिषद् का सृजन तथा विद्यमान विधान परिषद् अंत कर सकती है।
- भारत में 7 राज्यों में विधान परिषदों का अस्तित्व है– उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू–कश्मीर।
- नवीन विधान परिषद् के सृजन अथवा विद्यमान विधान परिषद् की समाप्ति से संबंधित प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 169** में किया गया है।
- विधान परिषद् में उस राज्य के **विधान सभा के एक तिहाई से अधिक सदस्य नहीं हो सकते**, लेकिन किसी भी दशा में विधान परिषद् की **सदस्य संख्या 40 से कम नहीं हो सकती।**
- विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित ढंग से होता है–
  1. **एक तिहाई सदस्यों** का चुनाव नगरपालिका, जिला परिषद् तथा स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  2. **एक तिहाई सदस्यों** का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
  3. **1/12 सदस्यों** का चुनाव माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सेवारत शिक्षकों द्वारा किया जाता है।
  4. **1/12 सदस्यों** का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा किया जाता हैं
  5. **1/6 सदस्यों** का मनोनयन राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तथा सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से किया जाता है।
- विधान परिषद् राज्यसभा की ही तरह स्थायी सदन है। अतः **इसे भंग नहीं किया जा सकता** है। प्रति **दो वर्ष बाद** इसके **एक तिहाई सदस्य** सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति–
  1. भारत का नागरिक हो
  2. न्यूनतम **30 वर्ष की आयु** का हो
  3. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो
  4. विकृतचित्त अथवा दिवालिया न हो

पदाधिकारी

- सभापति और उपसभापति विधान परिषद् के दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है।
- **सभापति और उपसभापति** का चुनाव विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय उपराष्ट्रपति की तरह विधान परिषद् का कोई पदेन सभापति नहीं होता है।
- यदि विधान परिषद् के सदस्य अपने बहुमत से सभापति अथवा उपसभापति को उनके पद से हटाये जाने का संकल्प पारित कर दें तो उनहें अपना पद त्यागना पड़ता है।
- सभापति अथवा उपसभापति को उन्हें उनके पद से हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव पेश करने की सूचना 14 दिन पूर्व दे देनी आवश्यक होती है।
- सामान्य विधेयक के सम्बन्ध में गतिरोध पैदा होने पर विधानमण्डल (विधान सभा और विधान परिषद) की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक को विधान परिषद मात्र 3 माह तक रोक सकती है और धन विधेयक को वह 14 दिन तक रोक सकती है।

संघशासित क्षेत्रों का प्रशासन

- भारत में राज्यों के अतिरिक्त कुछ संघशासित प्रदेश भी हैं, जिनका प्रशासन केन्द्र द्वारा किया जाता है।
- भारत में सात केन्द्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर ओर नगर हवेली, दमन और द्वीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और चंडीगढ़
- अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति संघशासित क्षेत्रों का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है।
- राष्ट्रपति संघ शासित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए किसी पड़ोसी राज्य के राज्य पाल को भी नियुक्त कर सकता है।
- राष्ट्रपति द्वारा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की शक्ति संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अधीन होती है।
- अनुच्छेद 239(क) के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी संघ शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद् का उपबंध कर सकती है।
- वर्तमान में पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद् का उपबंध किया जा चुका है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक मंत्रिपरिषद् के सलाह के बिना संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक को उप–राजयपाल अथवा मुख्य आयुक्त नाम दिया गया है।
- संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है।
- उन राज्यों के अतिरिक्त जहाँ कि विधान मंडल है, अन्य सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- राज्यों के राज्यपालों की भाँति संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हैं।
- अनुच्छेद–241 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह विधि बनाकर किसी संघशासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है।
- वर्तमान में दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है, जिसके लिए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है।

जम्मू कश्मीर राज्य

- भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 11 और 370 जम्मू–कश्मीर राज्य पर स्वतः लागू होंगे और शेष अनुच्छेदों का लागू होना राष्ट्रपति पर निर्भर होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से निश्चित करेगा।
- जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :
- जम्मू–कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान की व्यवस्था हैं
- जम्मू–कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त नहीं है वरन् राज्य विधान सभा को प्राप्त है।
- किन्तु यदि राज्य विधान सभा कोई ऐसा संशोधन पेश करती है, जिससे राज्यपाल या निर्वाचन आयुक्त की शक्तियाँ प्रभावित होती हैं तो ऐसे संशोधनों को प्रभावी होने के लिए उस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति अनिवार्य होगी।
- जम्मू–कश्मीर के नाम अथवा राज्यक्षेत्र में परिवर्तन इस राज्य के विधानमंडल की सम्मति के बिना संभव नहीं है। संसद में ऐसे विधेयक तभी पेश किये जा सकते हैं, जब राज्य विधानसभा इसके लिए पूर्व सहमति दे दे।
- लेकिन अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्यसूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो जम्मू–कश्मीर राज्य के संदर्भ में भी लागू होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते से जम्मू–कश्मीर राज्य प्रभावित हो रहा हो तो बिना जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति के ऐसा संधि या समझौता संभव नहीं है।
- जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में नागरिकता का विशेष प्रावधान किया है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, जम्मू–कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। एक भारत की नागरिकता और दूसरा, जम्मू–कश्मीर राज्य की नागरिकता।
- 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है, जबकि जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए सम्पत्ति का अधिकार आज भी मूलाधिकार है। इसके लिए एक नया अनुच्छेद–35(क) जोड़ा गया है।
- भारतीय संविधान के भाग–4 के नीति–निदेशक तत्वों संबंधी प्रावधान जम्मू–कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। जम्मू–कश्मीर राज्य को नीति–निर्माण संबंधी किसी प्रकार का आदेश केन्द्र द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
- अनुच्छेद–352 के अधीन सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपात काल की उद्घोषणा की जाती, तो उसका प्रभाव जम्मू–कश्मीर राज्य पर तब तक नहीं होगा, जब तक राज्य विधान मंडल उससे सहमत न हो।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- संविधान के अनुच्छेद–356 के अंतर्गत सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए राज्यपाल शासन का प्रावधान है। राज्यपाल को यह शक्ति होगी कि राष्ट्रपति की सहमति से वह राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य ग्रहण करे।
- अनुच्छेद–360 के अधीन जम्मू–कश्मीर राज्य पर वित्त आपात काल नहीं लागू किया जा सकता है।
- अनुच्छेद–356 के अंतर्गत यद्यपि कि जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए राज्यपाल शासन की व्यवस्था है, लेकिन 6 महीने पश्चात् यह राष्ट्रपति शासन के रूप में परिणम हो जाता है।
- उर्दू को जम्मू–कश्मीर को राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान तब तक के लिए किया गया है, जब तक विधानमंडल विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध न कर दे।
- विधान सभा की सदस्य संख्या 100 है, जिसमें 24 स्थान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के प्रतिनिधियों के लिए रखे गये हैं। राज्यपाल को दो महिला सदस्यों को मनोनीति करने की भी शक्ति प्राप्त है।

अन्तर्राज्यीय परिषद (अनु. 263) :

- अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में प्रधानमंत्री बी. पी. सिंह के कार्यकाल में किया गया था।

वित्त आयोग (अनु. 280) :

- इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।
- आयोग के पहले अध्यक्ष के. सी. नियोगी (1952–57) थे।

संघ की भाषा :

- संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी लेकिन संविधान के प्रवर्तन के 15 वर्षों बाद अर्थात 1965 तक संघ के भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था। पहला राजभाषा आयोग 1955 में बी. जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था।

1. असमिया
2. बंग्ला
3. गुजराती
4. हिन्दी
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. कोंकणी
8. मलयालम
9. मणिपुरी
10. मराठी
11. नेपाली
12. उड़िया
13. पंजाबी
14. संस्कृत
15. सिन्धी
16. तमिल
17. तेलुगु
18. उर्दू
19. बोडो
20. मैथिली
21. डोंगरी
22. संथाली

नोट : मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषायें थीं।

शपथ एवं त्यागपत्र

पद	शपथ	त्यागपत्र
राष्ट्रपति	मुख्य न्यायाधीश	उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्यपाल	राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष	शपथ नहीं होता	उपाध्यक्ष

पंचायती राजव्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ

बलवन्त राय मेहता समिति	1957 ई.	एल. एम. सिंधवी समिति	1986 ई.
अशोक मेहता समिति	1977 ई.	64वाँ संविधान संशोधन	1989 ई.
पी. वी. के. राय समिति	1985 ई.	73वाँ संविधान संशोधन	1993 ई.

वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल

1.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	पंजा
3.	भारतीय साम्यवादी दल	हंसिया और बाली
4.	राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	घड़ी
5.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी (असम को छोड़कर)
6.	मार्क्सवादी साम्यवादी दल	हसियां हथौड़ा एवं तारा
7.	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष

1.	संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2.	संघ संविधान समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू
3.	प्रान्तीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
4.	प्रारूप समिति	डॉ. भीम राव अम्बेडकर
5.	झण्डा समिति	जे. बी. कृपलानी
6.	संघ शक्ति समिति	पं. जवाहर लाल नेहरू

कैबिनेट मिशन (1945 ई.) के प्रस्ताव पर गठित अन्तरिम मंत्रिमण्डल

1.	जवाहर लाल नेहरू	कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमण्डल
2.	बलदेव सिंह	रक्षा
3.	बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना तथा प्रसारण
4.	सी. राज गोपालचारी	शिक्षा
5.	जगजीवन राम	श्रम
6.	जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ती
7.	राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि

राज्य सभा सदस्य, जो प्रधानमंत्री बने

1.	इंदिरा गाँधी	1966–67
2.	एच. डी. देवगौड़ा	1996–97
3.	आई. के. गुजराल	1997–98
4.	डॉ. मनमोहन सिंह	2004

महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन

1.	राष्ट्रपति	1,50,000 रुपये
2.	उपराष्ट्रपति	1,25,000 रुपये
3.	लोकसभा अध्यक्ष	1,25,000 रुपये
4.	राज्यपाल	1,10,000 रुपये
5.	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	90,000 रुपये
6.	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	90,000 रु.
7.	उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	80,000 रुपये
8.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	90,000 रुपये
9.	मुख्य चुनाव आयुक्त	90,000 रुपये
10.	महान्यायवादी	90,000 रुपये

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

संविधान संशोधन (अनु. 368) :

- संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है।
  1. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन
  2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
  3. विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्य के विधान मंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन

1. **साधारण विधि** : संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं।
   (1) नये राज्यों का निर्माण (2) राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन
2. **विशेष बहुमत द्वारा संशोधन** : यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है।
3. **संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन** : संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मण्डलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के विषय प्रमुख है।
   (i) राष्ट्रपति का निर्वाचन
   (ii) राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति
   (iii) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
   (iv) राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
   (v) संविधान संशोधन की प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रावधान

प्रमुख संशोधन

भारतीय संविधान में संशोधित हुए प्रमुख संशोधन हैं–

चौथा संशोधन (1955) : इसके अनुसार व्यवस्था की गई कि राज्य किसी सरकारी उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जायदाद का अधिगृहण कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के लिए निर्धारित की गई राशि की मात्रा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

नौवां संशोधन (1960) : इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1958 के भारत–पाकिस्तान सीमा समझौते के मध्य भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को देना था।

दसवां संशोधन (1961) : पुर्तगाली बस्तियों दादरा एवं नगर हवेली को भारत संघ में शामिल करके शासन का भार राष्ट्रपति को सौंपा गया।

16वा संशोधन (1963) : इस संशोधन द्वारा राज्यों की सरकारों को अधिकार दिया गया कि वह देश की एकता ओर अखंडता के लिए मूल अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है।

26वां संशोधन (1971) : इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवीपर्स' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माध्व राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।

31वां संशोधन (1973) : इसके अन्तर्गत लोकसभा की चुनी जाने वाली सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई और दो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

36वां संशोधन (1975) : सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण सदस्य बनाने और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करने और सिक्किम को राज्यसभा और लोकसभा में एक–एक स्थान देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया।

42वां संशोधन (1976) : इस संशोधित विधेयक की निम्न शर्तें हैं–
संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और 'राष्ट्र की एकता' और अखंडता' शब्द रखे गये।

44वां संशोधन (1978) : संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल वैधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 352 का अनुशोधन किया गया कि आपात स्थिति की घोषण के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक शक्तिशाली बनाया गया। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के आधीन व्यक्ति को किसी भी स्थिति में 2 महिने से अधिक अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण है।

45वां संशोधन (1980) : संसद और राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए सीटों का आरक्षण और एंग्लो–भारतीयों के लिए नामजदगी की सुविधा को दस वर्ष बढ़ाया गया।

52वां संशोधन (1985) : यह संशोधन 'दल–बदल रोक बिल' के नाम से जाना गया। इसके अनुसार यदि कोई संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य राजनीतिक दल बदलता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के बाद 6 महिने के अंदर किसी राजनैतिक दल का सदस्य बन जाता है वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य कराकर दिया जाएगा इस अधिनियम में राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय के संबंध में व्यापक व्यवस्था है।

55वां संशोधन (1986) : इसमें केन्द्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिये जाने के भारत सरकार के प्रस्ताव को लागू किया गया।

61वां संशोधन (1989) : अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई।

62वां संशोधन (1989) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण और 'एंग्लो इंडियन' समुदाय का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व का प्रावधान जो 40 वर्षों तक था, उसे दस वर्ष और जारी किया जाएगा।

63वां संशोधन (1989) : 59वें संशोधन के तहत 1983 में पंजाब में आपात स्थिति के संबंध में जो प्रावधान किए गये थे उनकी अब आवश्यकता न होने के कारण अनुच्छेद 356 की धारा (5) और अनुच्छेद 359 (क) को हटा दिया गया।

69वां संशोधन (1991) : भारत ने दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को चुस्त करने के लिए 24 दिसम्बर 1987 में एक कमेटी गठित की और सिफारिश की गई कि 'दिल्ली' एक केन्द्र शासित प्रदेश रहेगी साथ ही इसमें विधान सभा तथा एक मंत्री परिषद भी होगी। 1991 का अधिनियम इन सिफारिशों को लागू करने के लिए पारित किया गया।

76वां संशोधन (1994) : शैक्षिक संस्थाओं में तथा लोकसेवा के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। नवम्बर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की।

77वां संशोधन (1995) : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

81वां संशोधन (2000) : अनुच्छेद 16 की किसी भी व्यवस्था के अधीन अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों की खाली सरकारी पद आरक्षित है। यदि वे नहीं भरे जाते हैं तो अगले वर्ष पृथक समझी जायेगी।

83वां संशोधन (2000) : इसके अन्तर्गत 243 ए में संशोधन कर व्यवस्था की गई है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अरुणाचल पूर्ण रूप से अनुसूचित जातियों से आबाद हैं।

84वां संशोधन (2001) : इसमें 1991 की जनगणना के अनुसार सुनिश्चितकी गई आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य केलिए आबंटित लोक सभा व विधान सभा सीटों की संख्या में परिवर्तन किये बिना राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र को परिवर्तित व पुनर्गठित किया जा सके।

85वां संशोधन (2001) : इस कानून द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4a) में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुषंगिक वरीयता प्रदान की जा सके। इसे 17 जून 1995 से प्रभावी माना गया है।

87वां संशोधन (2002) : 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है इसमें अनुच्छेद 21 अ जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त व अनिवार्य बना दी गई है।

89वाँ संशोधन (2003) : 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनु. 338 में संशोधन किया गया है और एक नया अनु. 338क जोड़ा गया है। अनु. 338 में संशोधन करके अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग की स्थापना का उपबन्ध किया गया है। अनु. 338 के हाशिए के शीर्षक के स्थान पर ''राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग'' रखा जाएगा।

91वां संशोधन : मंत्रीपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह व्यवस्था राज्यों के लिए भी लागू है। बशर्ते कि राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम न हों।

92वां संशोधन (2003) : इस संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके 4 भाषाओं को राजभाषा के रूप में जोड़ दिया गया है जो इस प्रकार है– बोड़ो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके पश्चात् 8वीं अनुसूची में अब कुलभाषाओं की संख्या 22 हो गई है।

93वां संशोधन (2005) : शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था है।

94वां संशोधन (2006) : मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 और बिहान पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा झारखण्ड और छत्तीसगढ़ दो नए राज्य बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का सम्पूर्ण अनुसूचि क्षेत्र झारखण्ड में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अतः इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्देद 164 के खण्ड (1) में बिहार राज्य के स्थान पर 'छत्तीसगढ़ और झारखण्ड' शब्दों को रखा गया है।

95वां संशोधन (2009) : इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके शब्दावली 60 वर्ष के स्थान पर शब्दावली 70 वर्ष जोड़ दिया गया है अर्थात् अब इन वर्गों के लिये लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण 70 वर्ष तक अर्थात् 2010 के पश्चात् तक चलता रहेगा।

96वां संशोधन (2011) : आठवीं अनुसूची की 15वीं प्रविष्टि में उड़िया की जगह ओडिया शब्द स्थापित किया जाता है।

97वा संशोधन (2011) : भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(ग) में **'सहकारी समितियां'** शब्द जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 19(1)(ग) के अनुसार, **सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा।**

संविधान के भाग 4 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) में अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया है। नये अनुच्छेद 43ख के अनुसार, **''राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन (voluntary formation), लोकतांत्रिक नियंत्रण (democratic control) तथा व्यवसायिक प्रबंधन (professional management) को विकसित करने का प्रयास करेगा।''**

भारत में पंचायती राजव्यवस्था :

भाग–9 पंचायत Part IX–The panchayat (क से ण) तथा अनुसूची 11 में प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 ई. को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। इसके बाद 1959 में आन्ध्रप्रदेश में पंचायती राज शुरू हुआ।

पंचायती राज के सम्बन्ध में संवैधानिक प्रावधान :

संविधान के अनु. 40 में राज्यों के गठन का निर्देश दिया गया है इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 5 में ग्राम पंचायतों को शामिल करके इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है।

73वाँ संविधान संशोधन :

73वाँ संविधान 1993 संशोधन की प्रमुख बातें

1. इसके द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया हैं
   - ग्राम या नगर पंचायत
   - तहसील पंचायत
   - जिला पंचायत
2. पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी हैं
3. ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिये होता है।

यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 (क) अनुच्छेद 243 (त से य छ तक) एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 74वाँ संविधान संशोधन की प्रमुख बातें–

(a) नगरपालिकाएँ तीन प्रकार की होगी–
   1. **नगर पंचायत** : ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
   2. **नगर परिषद** : छोटे नगर क्षेत्र के लिए
   3. **नगर निगम** : बड़े नगर क्षेत्र के लिए

   Note : नगर निगम की स्थपना सर्वप्रथम मद्रास 1687 ई. में की गयी है।

राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें :

(a) लोक सभाआम चुनाव अथवा राज्य विधान सभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा।
(b) इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधान सभा की कम से कम चार सीटें जीतनी होंगी।
(c) लोक सभा में दो प्रतिशत सीटें हो और ये कम से कम तीन विभिन्न राज्यों में हासिल की गयी हों।

74वाँ संविधान संशोधन :

- 1992 में यह संशोधन किया गया और इसके द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रावधान किया गया और बारहवीं अनुसूची जोड़कर उसे 18 विषय आबंटित किये गये। इसमें भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अधिनियम 1 जून, 1993 को लागू किया गया।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

राज्य व्यवस्था (*T.I. Highlights*)

By Ashok Pandey

भारतीय राज्यव्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के अनुसार किया गया।
- इसके गठन के लिए जुलाई–अगस्त 1946 में चुनाव हुआ।
- 3 जून 1947 के भारत संविधान की योजना की घोषणा के बाद इसका पुनर्गठन हुआ तथा पुनर्गठित संविधान सभा की संख्या 299 थी।
- संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) के पद पर बी. एन. राव को नियुक्त किया गया।
- 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया।
- 15 नवम्बर 1948 को संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारम्भ हुआ।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान के प्रारूप पर अन्तिम वाचन हुआ और इसी दिन संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
- 26 नवम्बर 1946 को संविधान के उन अनुच्छेदों को प्रस्तावित कर दिया गया जो नागरिकता निर्वाचन तथा अंतरिम संसद से सम्बन्धित थे।
- संविधान सभा का अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 था और उसी दिन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया।
- संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
- वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं।
- ''पंथनिरपेक्ष'', ''समाजवाद'' तथा ''अखण्डता'' शब्द संविधान की उद्देशिका में 42 वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गये।
- भारत की उद्देशिका में प्रयुक्त ''गणतन्त्र'' शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत (hereditary) नहीं होगा।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार–संविधान की उद्देशिका संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है (केशवानंद भारती बनाम केरल – 1973 ई.)।
- प्रो. व्हीयर ने भारत के संविधान को अर्द्धसंघीय (Quasifederal) संविधान कहा है।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया।
- भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसके सम्बन्ध में अनुच्छेद 5 से 11 तक में प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अनुसार कुछ पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित है, जैसे– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महान्यायवादी राज्यपाल एवं महाधिवक्ता का पद।
- संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इस अनुच्छेद 300(क) के अर्न्तगत रखा गया है। अब यह केवल एक विधिक (Legal) अधिकार रह गया है।
- अनु. 15, 16, 19, 29 तथा 30 द्वारा प्रतयाभूत मूलाधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। शेष सभी मूलाधिकार नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गयी है।
- मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया।
- राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुये किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- भारत में केवल नीलम संजीवा रेड्डी ही निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गये।
- भारत के दो राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा फखरूद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुयी थी।
- भारत के मुख्य न्यायधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दो बार कार्यकारी राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इसी पद के कारण उसका वेतन दिया जाता है।
- संघ शासन की वास्तविक शक्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य यह है कि संघ के शासन की जानकारी राष्ट्रपति को दे।
- प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है।
- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- संसद के तीन अंग होते हैं– लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
- सरकार के तीन अंग होते हैं– विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
- राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुयी।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवा निवृत्ति 2 अप्रैल 1954 को हुयी।
- लोकसभा के परिक्षेत्र का परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
- प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई और 4 अप्रैल 1957 को पहली लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दी गयी।
- राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
- लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पं. जवाहर लाल नेहरू ने इन्हें संसद का पिता या जनक कहा था।
- संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा को दो तिहायी तथा राज्यसभा के एक तिहायी सदस्य होते हैं।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
- धन विधेयक के सम्बन्ध में राज्यसभा को केवल सिफारिशी अधिकार है।
- राज्यपाल विधान मंडल के सत्रावसान काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है।
- राज्यों की मंत्रिपरिषद सामुहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
- राज्य विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है।
- राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी।
- विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 1/10 है। परन्तु यह किसी भी दशा में 10 सदस्य से कम नहीं होगी।
- संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
- जम्मू–कश्मीर राज्य विधानसभा में दो महिलाओं को राज्यपाल नामजद करते हैं।
- राष्ट्रपति जम्मू–कश्मीर के सम्बन्ध में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते।
- राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित संविधान के भाग 4 के प्रावधान जम्मू–कश्मीर राज्य केविषय में लागू नहीं होते हैं।
- जम्मू–कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, जो एक पृथक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है और यह संविधान 26 नवम्बर 1957 को लागू कर दिया गया।
- भारत में केवल दो संघ शासित राज्यां में विधान सभायें हैं– दिल्ली और पांडिचेरी।
- भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 21 है।
- देश में छः ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदों का गठन किया गया है– 1. उत्तर प्रदेश, 2. बिहार, 3. महाराष्ट्र, 4. कर्नाटक, 5. जम्मू–कश्मीर और 6. आन्ध्र प्रदेश।
- 4 अप्रैल, 2007 को आन्ध्र प्रदेश में पुनः विधानपरिषद का गठन किया गया।
- राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवे वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है।
- प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था।
- भारतीय संविधान के प्रवर्तित होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू किया गया।
- संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- जब भारत आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लामेंट एटली थे।
- जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे. पी. कृपलानी थे।
- 15 अगस्त, 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत–ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था।
- भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित किया गया है।
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है।
- भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है।
- भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गयी है।
- राज्य पुर्नगठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, इसके अध्यक्ष फजल अली थे।
- संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से प्रबन्ध नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 19(1)A से अंर्तनिहित है।
- डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है।
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इन्हें संविधान के भाग IV ए और अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है।
- संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों कावर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य (अनु0 51 क) को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया।
- 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया जिससे इसकी संख्या अब ग्यारह हो गई।
- ''राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा''– के. टी. शाह
- संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना था।
- पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में बनाया गया।
- 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
- 42वें संविधान अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था।
- 52वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 दल–बदल से सम्बन्धित था।
- भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में हुये।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। शासन का प्रमुख मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है।
- भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है।
- राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते आयकर मुक्त है।
- राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने से 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
- 1952 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय विपक्षी दलों का उम्मीदवार श्री के.टी. शाह थे।
- राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे एवं सबसे कम समय तक रहने वाले डॉ. जाकिर हुसैन थे।
- राष्ट्रपति पद पर सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य नीलम संजीव रेड्डी को प्रापत हुआ तथा सबसे अधिक उम्र के. आर. वेंकट रमन राष्ट्रपति बने।
- किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा और विजयी हुआ– वी.वी. गिरी।
- नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोक सभा अध्यक्ष रह चुके थे।
- भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की महारानी से मिलती जुलती है।
- संविधान के अनुच्छेद 123 के अर्न्तगत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है।
- राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सभा प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है।
- राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होता है।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन होने के 6 माह बाद तक आपात काल प्रभावी रहता है।
- आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ा सकती है।
- 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपात काल की अवधिको 6 माह से बढ़ा कर एक वर्ष कर दिया गया है।
- हिन्दू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से विवाद हुआ था।
- भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है।
- सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति रहने का गौरव डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को है।
- मन्त्री परिषद का कोई सदस्य बिना किसी सदन का सदस्य रहे 6 माह तक मन्त्री का पद धारण कर सकता है।
- मन्त्री परिषद में तीन स्तर के मन्त्री होते हैं– 1. केबिनेट, 2. राज्य, 3. उपमंत्री
- सामूहिक रूप से मन्त्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
- प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले अटल बिहारी बाजपेयी थे (13 दिन)।
- दो बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने वाले व्यक्ति गुलजारी लाल नन्दा थे।
- सबसे कम उम्र में भारत का प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और सबसे अधिक उम्र में मोरार जी देसाई।
- प्रधान मंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति मोरार जी देसाई थे।
- भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे।
- संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे।
- सबसे कम अवधि (5 दिन) तक मंत्री रहने का कीर्तिमान एच. आर. खन्ना के नाम है। वह विधि विभाग के मंत्री थे।
- भारत की सम्परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान नियन्त्रक एवं महालेख परीक्षक (Controller and Auditor General of India) होता है।
- नियन्त्रक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।
- लोक सभा संसद का निम्न सदनों (लोर हाउस) तथा राज्य सभा उच्च सदन (अपर हाउस) है।
- वर्तमान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 तथा राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
- राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
- राज्य सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हैं।
- राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।
- राज्य सभा के उप सभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्य करते हैं।
- मूल संविधान में लोकसभा की संख्या 525 निर्धारित की गई थी।
- लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 ई. तक अपरिवर्तित रहेगी।
- आपात काल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार मे एक वर्ष तक बढ़ा सकती है।
- लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है।
- प्रथम लोक सभा का अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे।
- उन्हें लोक सभा का पिता भी कहा जाता है।
- ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दी थी।
- लोक सभा का पहला आम चुनाव 1951–52 के शीतकाल में हुआ था।
- प्रथम लोकसभा के चुनाव के लिए कुल मतदाताओं की संख्या 17.32 करोड़ थी।
- दूसरी लोकसभा में सर्वाधिक (12) निर्विरोध सांसद चुने गये थे।
- 1977 के लोक सभा के निर्वाचन में जनता पार्टी को 265 सीटें मिलीं थी।
- पन्द्रहवीं लोक सभा में सर्वाधिक महिलायें 59 सांसद के रूप में निर्वाचित हुई।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- पहली लोकसभा वालों पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई।
- राज्य सभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ।
- यदि संसद का कोई नामांकित सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी।
- दल–बदल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है।

  राज्य–सभा की पहली महिला महासचिव बी. एस. रमादेवी थी।
- संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पुर्वानुमति लिये बिना 60 दिन तक सदन में नुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है।
- लोकसभा की नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष होता है।
- प्रत्येक विधेयक को पारित होने से पूर्व तीन बार वाचन से गुजरना पड़ता है।
- संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है।
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष होता है।

  गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को पेश किये जाते हैं।
- लोक सभा में मान्य विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के पास लोक सभा की कुल संख्या के 1/10 सदस्य होने चाहिए।
- लोक सभा का विरोधी दल का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह (1969 ई.) थे। ये कांग्रेस संगठन के नेता थे।
- संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है।
- संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक उच्चतम न्यायालय होता है।
- संविधान के निर्माण के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश थे।
- वर्ष 1986 से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 25 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की परम्परा फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से ली गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों साबित सदाचार और असमर्थता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक में जनहित याचिका की कार्यवाही प्रारम्भ की इसके द्वारा संविधान के अनुच्देद 32 का दायरा बहुत ही विस्तृत हो गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी के विरूद्ध 11 मई 1993 को लोक सभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा।
- सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य यन्यायाधीश एच. जे. कानिया थे।
- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले न्यायाधीश वाई वी. चन्द्रचूड़ थे।
- सर्वोचच न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश के. एन. सिंह थे (17 दिन)
- राष्ट्रपति ने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में सलाह देने के लिए निर्दिष्ट किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायधीश मीरा फातिमा बीबी थी।

  सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य के लिए अंग्रेजी भाशा का प्रयोग किया जाता है।
- लोकसभा का सबसे युवा सांसद मुकुल वासनिक है।
- सर्वाधिक उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति एन. जी. रंगा थे।
- अब तक लोकसभा के किसी सीट को सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकार्ड पी. वी. नरसिंह राव है।
- एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकार्ड जगजीवन राम के नाम है।
- लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक संसदीय मामले का मंत्री होता है।
- लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष अन्नत शयनन आयंगर थे।
- देश के छः राज्यों में विधान परिषदों का गठन किया गया है।
- विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 तथा अधिकतम 500 हो सकती है। किन्तु गोवा इसका अपवाद है, वहाँ केवल 40 सदस्य हैं।
- संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- ऐसे संघ शासित क्षेत्र जिनकी विधायिका नहीं है उनके लिए विधियों का निर्माण संसद करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 370 के अर्न्तगत जम्मू–कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।
- जम्मू–कश्मीर के संविधान को 26 नवम्बर 1957 को लागू किया गया।
- भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 है।
- सबसे अधिक खण्डपीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास है।
- उच्च न्यायालय के न्यायधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायधीश दुर्गा बनर्जी थीं।
- दिल्ली एक मात्र संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है।
- न्यायधीशों की सबसे कम संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है।
- लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 79 और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 स्थान सुरक्षित हैं।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया जाता है।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- मूल संविधान के आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएँ थी। बाद में संविधान द्वारा चार भाषाएँ–कोंकणी, सिन्धी, नेपाल और मणिपुरी को शामिल किया गया है।
- संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी विवादों को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है।
- किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। इसके लिए जारी है कि उस दल को 4 राज्यों में कम से कम 4% मत मिलें।
- किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आबंटन के निर्णय के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है।
- प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 2 फरवरी, 1952 तक सम्पन्न हुआ। इस लोकसभा चुनाव में 14 राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय का दर्जा प्रदान किया गया था।
- योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केन्द्र सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था।
- देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ बलवन्त राय मेहता समिति की रिर्पोट के आधार पर किया गया है।
- देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर से शुरू की गयी। इनका ढांचा त्रि–स्तरीय है।
- अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के द्वि–स्तरीय ढाँचे का सुझाव दिया था।
- 1953 में गठित राज्य पुर्नगठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे।
- लोक सभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अर्न्तगत कार्य करता था।
- भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित है।
- पहली बार राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए दो अन्य चुनाव आयुक्तों एस.एस. धनोबा व वी. एस. सहगल की 1983 में नियुक्ति की थी।
- संसद ने 1950 में भारत की आकस्मिक निधि का गठन किया था।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 (क) के अनुसरण में हिन्दी में संविधान का प्रधिकृत पाठ प्रकाशित किया गया। इसे 58वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में तैयार किया गया।
- 1955 में गठित राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष बी.जी. खेर थे।
- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को हुयी।
- अन्तर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी।
- 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिता में था।
- संविधान लागू होने के बाद पहली बार त्रिशुंक संसद का गठन 1989 में हुआ।
- भारत में पहली बार मतपत्र और अमिट स्याही का प्रयोग तीसरे निर्वाचन (1962) में किया गया।
- किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायधीश बनने का सौभाग्य न्यायमूर्ति लीला सेठ की है।
- 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत अमेरिका के तकनीक सहयोग से हुयी।
- लोकसभा में मान्य विरोधी दल का दर्जा किसी भी दल का प्रापत करने के लिए सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए।
- संसद में सबसे अधिक अधिनियम 1976 में पारित किये गये।
- सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में 1956 में किया गया।
- संघीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री लोकसभा या राज्यसभा से 4 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं बन सकता है।
- भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
- संविधान की दसवीं अनुसूची में दल–बदल के आधार पर किसी सांसद/विधायक को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है।
- पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है।
- भारत के महान्यायवादी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है।
- संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू थे।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की तीनों बैठकों में भाग लिया था।
- संविधान बनाने वाली प्रारुप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर थे।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- संविधान की सूचियों में शिक्षा समवर्ती सूची में है।
- राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का विशेष अधिकार राज्य सभा को प्राप्त है।
- 2/3 बहुमत से राज्य सभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं।
- राज्य सभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता।

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- संविधान के भाग– III को भारत का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।
- भारतीयों को सत्ता के हस्तान्तरण का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में किया गया।
- भारतीय राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है।
- भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारतीय शासन अधिनियम, 1935 को माना जाता है।
- भारत की स्वतन्त्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे।
- भारत का संविधान 22 भागों में विभक्त है।
- केन्द्रीय निर्वाचन आयुक्त अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है।
- संसद के दो अधिवेशनों के मध्य अधिकतम 6 महीने का अन्तराल हो सकता है।
- संसद के किसी सदस्य की असदस्यता 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है।
- भारतीय संविधान में निर्धारित किए गए के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है।
- भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
- लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से सम्बन्धित है।
- नए केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
- संविधान में अनुच्देद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
- व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अभिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए परमादेश (Mandamus) की रिट जारी की जाती है।
- कर्मचारी चयन आयोग का गठन 1 जुलाई, 1976 को हुआ।
- राजभाषा विभाग गृह मन्त्रालय के अनतर्गत कार्य करता है।
- 73वाँ संविधान संशोधन (1992) पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित है।
- वर्तमान में सात राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं।
- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय पाँच प्रकार के लेख (रिट) जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता है।
- संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है।
- लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तनीय है।
- यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होती है।
- 42वें संविधान संशोधन (1976) को 'मिनी कंस्टीट्यूशन' कहा जाता है।
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्देद 368 में किया गया है।
- दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व पुर्तगाल के उपनिवेश थे।
- 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया।
- केन्द्र व राज्यों के मध्य वित्त का बँटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है।
- संविधान से राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिय जाए तो वह न्यायालय में बाद योग्य नहीं रह जायेगा।
- भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात काल 1962 में किया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है।
- राज्य सभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
- स्वतन्त्र भारत में राज्य सभा के प्रथम सभापति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
- 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।
- संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था।
- संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51 तक) राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्बन्धित हैं।
- कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास उच्च न्यायलयों की स्थापना 1861 में की गई।

❖ **1854 का शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच :–** चार्ल्स वुड जो अर्ल ऑफ एवरडीन की मिली जुली सरकार में बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक वृहद योजना बनाई जिसमें अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।

➢ **हन्टर शिक्षा आयोग 1882–83 :–** शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में सरकार ने डब्ल्यू–डब्ल्यू हण्टर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समीक्षण तक ही सीमित था।

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- **सैडलर वि0 वि0 आयोग 1917–19 :–** इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया।
- **हार्टोग समिति, 1929 :–** सन् 1929 में भारतीय परिनियत (Statutory) आयोग ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया।
- **राधाकृष्णन आयोग 1948–49 :–** नवम्बर, 1948 में सरकार ने डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्व विद्यालयी शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट और उसके सुधार के लिए सिफारिशें देनी थीं।
- **कोठारी शिक्षा आयोग 1964–66 :–** जुलाई 1964 में एक आयोग डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया जिसे सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूप रेखा, साधारण सिद्धान्त तथा नीतियों की रूप रेखाबनाने का आदेश था।
- **शिक्षा की राष्ट्रीय नीति :–** मुख्यतः कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित करके 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया।
- **नवीन शिक्षा नीति 1986 :–** नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे गतिहीन समाज को ऐसे गतिशील समाज में परिवर्तित करना है जिसमें विकास तथा परिवर्तन के प्रति वचनबद्धता हो।

राष्ट्रीय प्रतीक (चिह्न)

- **राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)–** इसे 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा (Constituent assembly) द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके डिजाइनकार पिंगाली वेंकइया थे। इसकी लम्बाई व चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 होता है। बीच में 24 तीलियों वाला नीला चक्र होता है।
- **राजचिन्ह (National Emblem)–** यह सारनाथ के अशोक स्तम्भ से लिया गया है। मूल स्तम्भ में शीर्ष पर चार सिंह हैं, इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक साँड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं।

  भारत सरकार ने यह चिन्ह **26 जनवरी, 1950** को अपनाया। फलक के नीचे **मुण्डकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते'** देवनागरी लिपि में अंकित है।
- **राष्ट्रगान (National Anthem)–** रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन–गण–मन' के हिन्दी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।

  – यह सर्वप्रथम 27 दिसम्बर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कंग्रेस के कलकत्ता–अधिवेशन में गाया गया था।

  – राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेण्ड है।
- **राष्ट्रगीत (National Song)–** राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' की रचना बंकिमचन्द्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी।

  – 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहला राजनीतिक अवसर था जब यह गीत गाया गया था।
- **राष्ट्रीय पंचांग (National Calendar)–** शक–संवत् पर आधारित है। **22 मार्च, 1957 को** सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था।
- **राष्ट्रीय पशु (National Animal)– ओजस्वी 'बाघ'** (Panthera tigris) हमारा राष्ट्रीय पशु है।
- **राष्ट्रीय पक्षी (National Bird)– भारतीय मयूर** (Pavocristatus) हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारतीय वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।
- **राष्ट्रीय पुष्प (National Flower)– कमल** (Nelumbo Nucipera Gaertn) भारत का राष्ट्रीय पुष्प है।
- **राष्ट्रीय वृक्ष (National Tree)– बरगद**
- **राष्ट्रीय जलीय जीव–** सरकार ने 05 अक्टूबर, 2009 को डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया।
- **राष्ट्रीय नदी–** गंगा

****

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

POLITICS

- लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है ? **–14 दिन**
- संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है ? **–वित्त मंत्री**
- राजनीति विज्ञान का केन्द्रीय प्रतिपाद्य क्या है ? **–राज्य**
- संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था ? **–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को**
- राष्ट्रीय एकता परिषद् की अध्यक्षता कौन करता है ? **–प्रधानमंत्री**
- भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है ? **–भारत का राष्ट्रपति**
- यूनाइटेड किंगडम (ग्रेड ब्रिटेन) में कैसा शासन है ? **–एकात्मक शासन**
- राष्ट्रीय आपात् स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है ? **–भारत के राष्ट्रपति को**
- कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्णय का अधिकार किसको है ? **–संसद को**
- किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ? **–500**
- भारतीय संविधान का कौन–सा मूल अधिकार सिक्खों को कृपाण रखने का अधिकार देता है ? **–धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार**
- भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है ? **–संविधान की**
- लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है ? **–लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य**
- किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है ? **–भारत के राष्ट्रपति**
- राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को कम–से–कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए ? **–चार राज्य**
- लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम–से–कम कितनी होनी चाहिए ? **–सदन के कुल सदस्यों का 10 प्रतिशत**
- राज्यसभा की एक–तिहाई जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं ? **–दो वर्ष में एक बार**
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ? **–लोकसभा के अध्यक्ष**
- एक अपराध के दोष–सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है ? **–राष्ट्रपति और राज्यपाल**
- दल–बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, यदि वह– **–अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है**
- द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है ? **–दो सदनों वाला विधान मंडल**
- भारत में किस राज्य का अलग संविधान है ? **–जम्मू–कश्मीर**
- भारतीय संविधान के निर्माताओं में 'सरकार का संसदीय स्वरूप' कहाँ से लिया था ? **–ब्रिटेन से**
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है ? **–प्रधानमंत्री**
- राष्ट्रपति किसकी सलाह/अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है ? **–प्रधानमंत्री**
- राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन–से सदस्य शामिल होते हैं ? **–संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य**
- भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है– **–अनुच्छेद–13**
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, केन्द्र में कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं ? **–दो**
- राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं ? **–राज्य के राज्यपाल**
- भारत के किस राज्य का अपना संविधान है ? **–जम्मू कश्मीर**
- राष्ट्रपति द्वारा आपात् स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है ? **–तीस दिन के भीतर संसद का अनुमोदन**
- भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास हैं ? **–केन्द्र सरकार**
- राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है ? **–छः सप्ताह**
- जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुँचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है ? **–संगठित सामुदायिक जीवन का**
- आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं ? **–विधानमंडल और कार्यपालिका**
- किस राज्य में जनता कसी राय नियन्त्रित और परिचालित नहीं की जाती है ? **–उदार प्रजातंत्रीय राज्य में**

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- एक उदार प्रजातंत्र में 'समानता' की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है ?

–सभी व्यक्तियों को एक ही/समान नैतिक महत्व और सम्मान दोनों है

- एक संघ मुख्य रूप से राज्य का अधीनस्थ होता है, क्योंकि–

–उसको राज्य के समान सर्वोपरी शक्ति प्राप्त नहीं होती है

- भारत का संविधान कब से लागू हुआ ?

–26 जनवरी, 1950 से

- भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिये गये हैं–

–संविधान के भाग– III में

- भारत के कौन–से राष्ट्रपति लगातार दो कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहें ?

–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

- राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे–

–एक माह के भीतर

- संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है ? **–लोकसभा अध्यक्ष**
- उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संवीक्षण करती है, कहा जाता है–

–प्राक्कलन समिति

- लोकसभा की बैठक के लिए कम–से–कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए ?

–सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वाँ भाग

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है ? **–राष्ट्रपति**
- राज्यसभा का पदेन (Ex-officio) अध्यक्ष कौन होता है ?

–उपराष्ट्रपति

- राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है ? **–छह माह**
- बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है ?

–अध्यक्ष (Speaker)

- राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है ?

–राष्ट्रपति जब तक चाहे

- वित्त विधेयक कहाँ पेश किये जा सकते हैं ?

–केवल लोकसभा में

- मृत्यु–दंड को कौन माफ कर सकता है ?

–राष्ट्रपति

- कौन–सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है ?

–भारत

- सरकारों को एकात्मक और संघात्मक के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है ?

–केन्द्र और राज्यों के बीच में संबंध

- संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में कब कानून बना सकती है ?

–दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर

- किसी सांविधानिक सरकार के दो मूल मूल्य क्या होते हैं ? **–स्वतंत्रता और समानता**
- राज्यों के राज्यपाल कब तक अपने पद पर बने रहते हैं ?

–राष्ट्रपति का प्रसाद बने रहने तक

- यदि किसी मनुष्य को संचालन की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है तो इसका अर्थ कौन–सी स्वतंत्रता से वंचित करना है ? **–नागरिक स्वतंत्रता**
- किसी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्ति में किसकी योग्यताएँ होनी चाहिए ?

–उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का

- अल्पकालीन अध्यक्ष का क्या कार्य होता है ?

–सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना

- भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है यदि वह–

–उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है

- संविधान के अनुच्छेद– I में भारत को क्या कहा गया है ?

–राज्यों का संघ

- किस विधान मण्डल को संसदों की माता के रूप में सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है ? **–ब्रिटिश संसद**
- फासिस्टवाद किसमें विश्वास करता है ?

–जाति की श्रेष्ठता

- कानूनी समानता में यह निहित होता है कि–

–कानून के सामने हरेक व्यक्ति समान है

- सरकार वास्तव में किसका अभिकर्ता है ?

–राज्य का

- राज्यसभा की अधिकतम सदस्या संख्या क्या है ?

–250

- संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था ? **–वी. के. कृष्णमेनन**
- राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है ?

–उच्चतम न्यायालय में

- निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है ?

–संवैधानिक संस्था

- भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का अध्यक्ष कौन होता है ?

–भारत का राष्ट्रपति

- संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है ?

–राष्ट्रनीति के दिशासूचक सिद्धान्त में

- उप–निरीक्षक पुलिस किसका अंग है ?

–कार्यपालिका का

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई ? **–संवैधानिक संशोधन द्वारा**
- वित्त आयोग क्या है ? **–पंचवार्षिक निकाय**
- भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है ? **–राज्यों का संघ**
- भारत के संविधान का तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित किए जाने का क्या कारण था ?

  –पंचायती राज को बल प्रदान करना
- भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं ? **–तीन सूचियों में**
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो–इण्डियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है ? **–दो**
- संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है ? **–लोकसभा के अध्यक्ष**
- प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत, अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था–

  –विशेष विवाह अधिनियम
- समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है ?

  –राज्य और संघ के पास
- किसी विशेष दिन, लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ? **–20**
- प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है ?

  –भाषण–स्वातंत्र्य
- भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई ? **–भारत सरकार अधिनियम, 1935**
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका कैसा अधिकार है ? **–मौलिक अधिकार**
- संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे ?

  –सच्चिदानन्द सिन्हा
- वित्त आयोग (Finance Commission) के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है ? **–राष्ट्रपति**
- राज्य में मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूपप से किनके प्रति उत्तरदायी होंगे ? **–विधानसभा**
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं ? **–मंत्रिपरिषद**
- भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

  –डॉ. बी. आर. अम्बेडकर
- चतुर्थ सम्पदा (Fourth Estate) किसको निर्दिष्ट करती है ? **–समाचार–पत्र**
- राज्यसभा का एक स्थायी (Permanent) सदन होने का क्या कारण है ?

  –क्योंकि एक–तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं
- किस राजय की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ? **–नागालैंड**
- किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है ?

  –न्यायिक कार्यवाही
- संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है ? **–राष्ट्रपति**
- एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है ?

  –संविधान द्वारा दिया गया अधिकार
- भारतीय संविधान में मतदान की आयु–सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था ?

  –1989 ई. में
- किस अनुच्छेद के द्वारा हमारे संविधान में जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है ?

  –अनुच्छेद–370
- भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है ?

  –राज्य संघ
- जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है ?

  –संघ–सूची
- भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है ? **–भारत की जनता से**
- संयुक्त राष्ट्र में पाँच महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं ? **–सुरक्षा परिषद्**
- भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है ?

  –लोकसभा की सहमति से राज्यसभा
- मध्यावधि चुनाव कब करवाया जाता है ?

  –समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा–निवृत्त होते हैं ? **–65 वर्ष की आयु में**
- संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अन्दर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए ?

  –1 महीने में
- भारतीय संविधान में राज्य–नीति के निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है ?

  –कल्याण–राज्य की स्थापना के लिए
- भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने दिनों का होता है ?

  –छः वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
- भारतीय संघ राज्य–क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है ? **–उप–राज्यपाल**
- भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है ? **–हरियाणा व पंजाब**
- लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो–इण्डियन सम्प्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं ? **–दो**

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राज्य विधान परिषद् की सदस्यता अवधि क्या होती है ? **–6 वर्ष**
- भारत की संविधान–सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था ? **–डॉ. राजेन्द्र प्रसाद**
- भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन सन्दर्भित होता है ? **–राष्ट्रपति**
- मंडियाँ व मेले किस सूची के अनतर्गत आते हैं ? **–समवर्ती सूची**
- उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं ? **–बन्दी उपस्थापक**
- राज्यसभा में मनोनित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ? **–12**
- राज्यसभा के एक–तिहाई सदस्यों के निर्वत्त होने की अवधि क्या है ? **–प्रति दो वर्ष**
- योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ? **–प्रधानमंत्री**
- ''व्यक्ति चाहे बदल जाएँ पर नियम नहीं बदलने चाहिए'' यह सिद्धान्त किसका है ? **–संवैधानिक सरकार का**
- भारत की संविधान–सभा किसके अनुसार गठित की गई ? **–मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना (कैबिनेट मिशन योजना)**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है ? **–62 वर्ष**
- किस मौलिक अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेदकर ने 'संविधान का हृदय एवं आत्मा' की संज्ञा दी थी ? **–संवैधानिक उपायों का अधिकार**
- नियमों का पालन कराना किसका कार्य है ? **–न्यायपालिका का**
- 'शिक्षा' किस सूची के अन्तर्गत आती है ? **–समवर्ती सूची**
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ? **–राष्ट्रपति**
- जो व्यक्ति सांसद न हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है ? **–हाँ, पर उसे छः महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा**
- किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ ? **–74वाँ**
- उन अपशिष्ट मामलों पर, जिनका केन्द्रीय/राज्य/समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि–निर्माण कर सकता है ? **–केवल संसद**
- सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है ? **–संसद**
- ''संसद–जननी'' किसे कहा जाता है ? **–ब्रिटेन की संसद को**
- दल–बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? **–10वीं**
- चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है ? **–मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले**
- यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे ? **–लोकसभा के उपाध्यक्ष को**
- किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है ? **–संघीय सूची**
- लोकसभा में किसी विधेयक को धन–विधेयक के रूप में कोन प्रमाणित करता है ? **–अध्यक्ष**
- जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है, तो उनहें किसका वेतन प्राप्त होता है ? **–राष्ट्रपति का**
- सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी ? **–एम. फातिमा बीबी**
- डॉ. जाकिर हुसैन के पहले राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन थे ? **–डॉ. एस. राधाकृष्णन**
- निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है– **–राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों में**
- भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे ? **–डॉ. बी. आर. अम्बेडकर**
- संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है ? **–अनुच्छेद–112**
- सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है ? **–राज्य का**
- किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं ? **–500**
- भारत के संविधान के अन्तर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? **–तीन**
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्त्तव्य कब समाविष्ट किये गये ? **–1976 ई. में**
- भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम–से–कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए ? **– 4% वैध मत चार या अधिक राज्यों में**
- भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे ? **–1951–52 में**
- भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा, स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं ? **–एक–छठा भाग**
- जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? **–भारत का राष्ट्रपति**

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ?
–उपराष्ट्रपति
- कौन–सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है ? **–परमादेश**
- यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष त्याग–पत्र देना चाहे, तो वह अपना त्याग–पत्र किसको सम्बोधित करेगा ?
–अध्यक्ष को
- लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा–निर्धारण पिछली बार किस ईसवी सन् में किया गया था ? **–1972 ई. में**
- प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है, जिसमें–
–लोग देश के नीति–निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं
- किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है ? **–राष्ट्रपति**
- अधीनस्थ विधायक समिति सम्बन्धित है–
–प्रत्यायोजित विद्यायन से
- किस याचिका (रिट) के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है ?
–अधिकार–पृच्छा रिट
- यू. एस. ए. में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियाँ तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी सन्धियों का अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए, इससे क्या निर्दिष्ट होता है ? **–नियन्त्रण और संतुलन का सिद्धान्त**
- जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो कौन–सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है ? **–उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति**
- वित्तीय स्थिति के दौरान राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है ? **–राष्ट्रपति**
- किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था ?
–1975 ई. में
- भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी ? **–भाग–चार**
- 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 मुख्यतः किस तथ्य से सम्बन्धित है ? **–दल–बदल तथा अनर्हताएँ**
- 'मंत्रिपरिक्षद् पद्धति' तथा 'सामूहिक जिम्मेदारी' किस देश की देन है ? **–ब्रिटेन**
- राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है ? **–राष्ट्रपति**
- भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ? **–अध्यक्ष, लोकसभा**
- प्रतयेक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ? **–राज्यपाल**
- भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन थीं ? **–लीला सेठ**
- लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए ? **–25 वर्ष**
- नैसर्गिक अधिकार सिद्धान्त का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था ? **–लॉक**
- न्याय के आर्थिक आयाम पर किनके द्वारा जोर दिया गया है ? **–समाजवादियों द्वारा**
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है ? **–लोकसभा**
- वर्ष 2001 में अंगीकार की गई, लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य क्या था ?
–सदन में नारे नहीं लगाना
- राज्य विधानमंडल के 'अपर हाउस' का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति किसमें निहित है ? **–संसद में**
- किस स्थिति में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट जारी की जाती है? **–दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी**
- लोकसभा का अध्यक्ष कब अपना मत दे सकता है ?
–केवल 'टाई' पड़ने पर
- संविधान के अनुच्छेद– 1 में भारत को क्या कहा गया है ?
–राज्यों का संघ
- यह किसने कहा है कि ''मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है'' ? **–अरस्तू ने**
- राजनीतिक समता मुख्यतः कहाँ पाई जाती है ?
–सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में
- 'समाजवादी' और 'धर्म–निरपेक्ष' शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था ? **–42वाँ संशोधन**
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है ?
–भारत के उच्चतम न्यायालय को
- वह कौन–सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन–देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है ?
–नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक
- ''ब्रिटिश कंजरवेटिव पार्टी' को पहले क्या कहा जाता था?
–टोरी पार्टी
- चीन की राष्ट्रीय पार्टी (दल) 'कुओमितांग' की स्थापना किसने की थी ? **–डॉ. सनयात सेन**
- भारत के संविधान में मौलिक अधिकार–
–मूल संविधान के हिस्से थे
- भारत में उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है ?
–65 वर्ष
- वह कौन–सा रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्त्तव्यों निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है ? **–परमादेश रिट**
- भारत में 'सम्पत्ति के अधिकार' को अब कैसा अधिकार माना जाता है ? **–कानूनी अधिकार**
- लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था– **–रूसो ने**

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है– **–अमरीकी संविधान**
- विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमण्डलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है ? **–लोकसभा अध्यक्ष**
- 'आई एम द स्टेट' (मैं ही राज्य हूँ)– यह किसने कहा था? **–फ्रांस के लुई– XIV ने**
- उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी ? **–एम. एस. फातिमा बीबी**
- राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन–विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए ? **–14 दिन**
- मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है ? **–राजनीतिक अधिकार**
- 'क्रीमी लेयर' संकल्पना से क्या तात्पर्य है ? **–आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण**
- 'मिडनाइट डायरीज' किसकी आत्म–कथा है ? **–बोरिस येल्तसिन**
- भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है ? **–भारतीय संविधान**
- देश निष्कासन के बाद 'कार्ल मार्क्स' ने किस शहर में रहकर लेखन–कार्य किया था ? **–लन्दन**
- भारत के संविधान में 'सांविधानिक उपचार का अधिकार' किस अनुच्छेद में दिया गया है ? **–अनुच्छेद–32**
- किसके अनुसार 'राज्य एक आवश्यक बुराई' है ? **–अराजकतावादियों के अनुसार**
- शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी ? **–गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1935**
- संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन्स) की महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है ? **–एक बार**
- राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन किसके द्वारा किया गया था ? **–थॉमस हॉब्स**
- जनमत संग्रह तथा अपक्रमण कहाँ कराया जाता है ? **–स्विट्जरलैंड में**
- भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है ? **–संविधान में**
- संविधान के किस संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में एक–तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है ? **–73वाँ और 74वाँ संशोधन**
- किस देश में सांविधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है ? **–यू. के.**
- निर्वाचन–तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है ? **–बहुसंख्यक शासन**
- संविधान के किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल–बदल (डिफेक्शन) पर प्रतिबंध लगाया गया था ? **–1985 का 52वाँ संशोधन**
- किस मौलिक अधिकार को डॉ. अम्बेडकर के अनुसार 'संविधान का दिल' कहा गया था ? **–सांविधानिक उपचारों का अधिकार**
- संविधान का कौन–सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है ? **–अनुच्छेद–370**
- भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है ? **–35 वर्ष**
- वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत् आपातकाल की घोषणा करने के लिए अन्तिम प्राधिकारी माना जाता है ? **–राष्ट्रपति**
- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है ? **–यू. एस. ए.**
- नया राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएँ बदलने का अधिकार किसको है ? **–संसद**
- राज्य सभा का उप–सभापति किसे चुना जाता है ? **–किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो**
- किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? **–भारत के राष्ट्रपति के प्रति**
- राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती हैं ? **–2 (दो)**
- राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? **–छः वर्ष**
- भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन–सा है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है ? **–अनुच्छेद–40**
- भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत सांविधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ? **–अनुच्छेद–356**
- कौन–सी व्यवस्था 'विधि द्वारा शासन' सिद्धान्त के विपरीत है ? **–विशेषाधिकार तथा सुरक्षा**
- 'लौह आवरण' शब्द किसने बनाया था ? **–विन्स्टन चर्चिल**
- भारत में नागरिकों के लिए मतदान करने की उपयुक्त आयु क्या है ? **–18 वर्ष**
- किसने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर इस्ताक्षर किए थे ? **–श्री लालबहादुर शास्त्री**
- भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है ? **–भारत का निर्वाचन आयोग**
- राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो–इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है ? **–दो**
- भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ? **–12**
- संविधान में सम्मिश्र (संयोजित) भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है ? **–एक राज्यसंघ**

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475
{जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.}
For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया है? **–1956 ई. में**
- किस मौलिक अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है ? **–स्वतंत्रता का अधिकार**
- रिट 'बन्दी प्रत्यक्षीकरण' का शाब्दिक अर्थ क्या है ? **–सशरीर प्रस्तुत करो**
- वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंनें अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन (सत्र) में भाग नहीं लिया ? **–चौ. चरण सिंह**
- राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है ? **–तीन बार**
- राष्ट्रपति की सेवा–निवृत्ति आयु क्या है ? **–कोई सीमा नहीं है**
- संविधान की प्रस्तावना (Preamble) में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है ? **–एक प्रभुसत्तासम्पन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष**
- उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की शिफारिश की थी ? **–सरदार के. एम. पनीकर**
- मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है ? **–उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को**
- भारत के पहले केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष कौन था? **–जी. वी. मावलंकर**
- स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन–सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था ? **–आंध्र प्रदेश**
- किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन (विचारधारा) के रूप में हुआ ? **–उन्नीसवीं**
- वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद–143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं ? **–भारत के राष्ट्रपति**
- किस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है ? **–पांडिचेरी**
- राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है ? **–अनुच्छेद–352**
- सरकार किसकी एजेंसी है ? **–राज्य की**
- एकात्मक, संरचनात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है– **–यू. एस. ए.**
- किसी धर्म–विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारण्टी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है ? **–अनुच्छेद–27**
- भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है ? **–मौलिक अधिकार**
- लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है ? **–संसद**
- किस अधिकार को डॉ. बी. आर. अम्बेदकर ने ''संविधान का हृदय और आत्मा'' कहा था ? **–संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
- यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक, विशेष धन विधेयक है या नहीं ? **–लोकसभा अध्यक्ष**
- मनोरंजन कर किस सरकार द्वारा लगाया जाता है ? **–राज्य सरकार**
- राज्यपाल अपना पद किसकी संतुष्टि के बाद धारण करता है ? **–राष्ट्रपति**
- उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है ? **–उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में**
- भारती संविधान के सुदृढ़ केन्द्र के साथ 'संघीय प्रणाली' कहाँ से ली है ? **–कनाडा**
- उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है– **–राज्यसभा का**
- भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है ? **–18 वर्ष**
- शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है ? **–दृढ़ राज्य**
- भारतीय संविधान के अनुसार केंन्द्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे ? **–भारत के राष्ट्रपति**
- संसद में शामिल हैं– **–राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा**
- वह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं ? **–लोकसभा का अध्यक्ष**
- पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था ? **–1952 ई. में**
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ? **–राज्यपाल द्वारा**
- भारतीय संविधान में 'राज्य–नीति के निदेशक सिद्धांत' कहाँ से लिए गए हैं ? **–आयरलैंड**
- भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है ? **–22**
- नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन–सा अधिकार प्राप्त है ? **–विधिक अधिकार**
- मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ? **–प्रधानमंत्री**
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बनें रहते हैं ? **–65 वर्ष**

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

- भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है ?

–राष्ट्रीय आपात काल के दौरान

- संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है–

–पृथकता का खतरा

- समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ ?

–26 जनवरी, 1950 को

- भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है ? **–25 वर्ष**
- उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं ?

–25

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'समता के अधिकार' का प्रावधान है ? **–अनुच्छेद–14**
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ?

–राष्ट्रपति

- गाँधीजी को सबसे पहले 'राष्ट्रपिता' किसने कहा था ?

–सुभाषचंद्र बोस

- मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा 'सम्पत्ति के अधिकार' को हटाया गया ?

–44वाँ संशोधन

- केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है ? **–केवल लोकसभा में**
- संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है ? **–राष्ट्रपति**
- संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है?

–तीन

- राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन किस वर्ष हुआ ?

–1952 ई. में

- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है ?

–हेग (नीदरलैण्ड्स) में

- भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु–सीमा क्या है ?

–कोई अधिकतम आयु–सीमा नहीं है

- जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है ? **–केन्द्रीय सरकार द्वारा**
- लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति (कोरम) क्या है ? **–1/10**
- संसदीय प्रकार की सरकार में "वह बराबर वालों में पहला होता है"। वह कौन है ? **–प्रधानमंत्री**
- कौन–सा दिन अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है ?

–10 दिसम्बर

- सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?

–2005 ई. में

- कौन–सी संस्था 2 अक्टूबर को 'अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' घोषित किया है ? **–संयुक्त राष्ट्र महासभा**
- भारत में पचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी ?

–अनुच्छेद–40

- पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अन्तर होना चाहिए ? **–6 महीने**
- भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है ? **–विपक्षी दल का नेता**
- 'राजनीति और धर्म को साथ–साथ चलना चाहिए' यह कथन किसका है ? **–महात्मा गांधी**
- संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

–डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

- किस स्थिति में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट जारी की जाती है? **–दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी**
- भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य संविधान में किस वर्ष शामिल किए गए थे ? **–1976 ई. (42वाँ संशोधन) में**
- पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल कौन थे ?

–चक्रवर्ती राजगोपालाचारी

- वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न का अवार्ड मिला था–

–डॉ. एस. राधाकृष्णन

- राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं, कितने व्यक्तियों का नामन कर सकते हैं ? **–12**
- नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन–सा है ? **–संसद**
- संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता ? **–प्राक्कलन समिति**
- भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है ?

राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्तों के

- राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है ? **–छह वर्ष**
- 'सार्वजनिक पद का अधिकार' है– **–नागरिक अधिकार**
- अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है ?

–भारत की आकस्मिकता निधि से

- संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है ?

–शून्य काल (Zero hour)

- संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है?

–लोकसभा के प्रति मंत्रिपवरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व

- न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं ?

–विधि का नियम

- वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि, वह–

–सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो

- महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल कौन थे ? **–श्री प्रकाश**

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इलाहाबाद
फोन नं. : 0532–3266722, 9956971111, 9235581475

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

सावधान

One Day की रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए आज कई संस्थान खुल गए हैं जहाँ अनुभवहीन शिक्षक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं।

ऐसे संस्थान सिर्फ One Day के रिक्तियों की घोषणा का इन्तजार करते हैं। यहाँ न कोई Research Work होता है न ही Material Development।

ये सिर्फ गाँव के भोले–भाले छात्रों को बरगला कर कमाई कर रहे हैं। जागरूक बने एवं हमेशा अनुभवी, प्रतिष्ठित संस्थान को चुनें, जहाँ गुणवत्ता, ईमानदारी एवं सफलता की पूजा की जाती है और जहाँ ज्ञान नहीं सेलेक्शन दिया जाता है।

THE INSTITUTE

जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com

2010-11 में UPP, CPO, B.Ed., SSC, BANK, RAILWAY में
सर्वाधिक Selection देने के बाद अब...

सिपाही
UP & CPO

SSC
Pre & Mains
(New Syllabus)

BANK
Clerk
(New Pattern)

OUR FACULTY

Team Maths : S.P. Singh, K.M. Mishra, B.K. Dubey, & Vipin Sir

Team Reasoning : R.R. Gupta & K.N. Sir

Team G.S.
- Hindi : Dr. K.B. Pandey
- Sci. & Tech. : Ajay Singh
- History : V.P. Singh
- Geography : M.M. Khan
- Polity : Ashok Pandey
- Economics : Subhash Paul

Team Tech. : Pawan Shukla

Team English
- Grammar : R.S. Singh
- Word Power : C. Shekhar

B.Ed. / T.E.T.
प्रवेश परीक्षा हेतु

रेलवे
टेक्निकल

सभी कोर्सों के लिए अलग-अलग एवं विशेष बैच प्रारम्भ

प्रिंटेड नोट्स एवं प्रैक्टिस पेपर के साथ सम्पूर्ण तैयारी

Individual Maths, Reasoning & English Also Available ; CSAT – Maths + Reasoning

THE INSTITUTE
जहाँ सेलेक्शन एक जिद है.

समीर प्लाजा, मनमोहन पार्क, कटरा, बांसमण्डी के सामने, इला0 Mob. :0532-3266722, 9956971111, 9235581475
website : www.theinstituteedu.com email : info@theinstituteedu.com

पूरी फीस, पूरी पढ़ाई, पूरा सेलेक्शन ; अधूरी फीस, अधूरी पढ़ाई, अधूरा सेलेक्शन

For More Book Download Click Here - http://GKTrickHindi.com